DR. C. P. THAKUR: Sir, I introduce the Bill.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Storming of the Disputed Site at Ayodhya By VHP Thereby Flouting Supreme Court Directives and the action taken by Government thereon

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं विश्व हिन्दू परिषद द्वारा उच्चतम न्यायालय के निदेशों की अवज्ञा करते हुए अयोध्या में विवादास्पद ढांचे पर धावा बोलने तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मैं हिन्दी में जवाब दूं लेकिन चूंकि पहला नाम डा. दसारी नारायण राव का था, इस कारण जवाब अंग्रेजी में तैयार हुआ है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अंग्रेजी का जवाब पढ़कर सुना दूं।

This Government is of the view that the problem in Ayodhya can be solved either through mutual consensus among all the concerned or on the basis of adjudication by the court.

Let me briefly narrate the facts of the incident which took place in Ayodhya on 17th October, 2001. According to the report received from the Government of Uttar Pradesh, S/Shri Ashok Singhal, S.C. Dikshit alongwith some 20 other persons who had come through the gangway to have *darshan* made their way through the bars of the gangway and entered the isolation cordon where devotees are normally not allowed. On receiving the information, senior police and district officials reached the spot immediately and on their arrival they found that these persons were sitting inside the premises and singing hymns and raising slogans. All these persons were persuaded by the local officials to vacate the premises. A non-cognisable FIR was registered against them under section 186 IPC for obstructing public servants in the discharge of their public functions.

Honourable Members who have given notice have said that by 'storming' the disputed site, the VHP have flouted the Supreme Court directives. I would like to give a brief background with regard to the Supreme Court's pronouncements in this regard. The Union Government acquired the entire Ram Janma Bhoomi - Babri Masjid premises in the aftermath of the incident in Ayodhya on 6th December, 1992 through the Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act, 1993. The Ordinance came into being on 7th January, 1993 which was subsequently replaced by an Act of

Parliament. According to section 3 of the Act, "on and from the commencement of the Ordinance the right, title and interest in relation to the area by virtue of this Act stood transferred to, and vested in the Central Government". Section 7(2) of the said Act requires the Central Government to ensure that the position existing before the commencement of this Act *i.e.* 7.1.1993 shall be maintained.

The validity of the above Act was challenged in the Supreme Court in Dr. M. Ismail Faruqui and others *v/s* Union of India and others. The Supreme Court upheld the validity of the entire Act except section 4(3) which provided that on the commencement of the Ordinance, any suit, appeal or other proceedings in respect of the right, title and interest relating to any property which vested in the Central Government under section 3 and was pending before any court, tribunal or authority would abate. The Supreme Court maintained that abatement of all pending suits and legal proceedings without providing for an alternative dispute resolution mechanism for resolution of the dispute between the parties thereto will amount to an extinction of the judicial remedy for resolution of the dispute amounting to negation of rule of law and, therefore, sub-section 3 of section 4 of the Act was declared unconstitutional and invalid. The consequence of this judgement was that all the suits relating to title of the disputed land pending before the Lucknow Bench of the Allahabad High Court were revived.

The maintenance of the *status quo* as on 7.1.1993 on the disputed site meant that no addition, alteration or other structural changes were carried out in the makeshift structure situated in the disputed area but normal maintenance work could be carried. No addition, alteration or damage to the structure was carried out by these persons.

The Union Government is fully conscious of its responsibility of maintaining peace, amity and communal harmony in the country and, therefore, as soon as it learnt about the incident, the State Government was directed to fix responsibility on those guilty and punish them. A court of enquiry was ordered by the DG, CRPF. According to the reports available from the State Government, two senior officials, a magistrate and Deputy Superintendent of Police responsible for the incident have been placed under suspension. The CRPF have also replaced the company on duty by another company, transferred the Deputy Commandant and an Inspector of the unit responsible for the incident and departmental action has been initiated against the officials concerned.

The State Government have also been directed to review the security scheme for Ayodhya. Accordingly, review has taken place on 31st October, 2001. As per the recommendations of the Standing Committee on Security on Ayodhya, the security has been further beefed up. The roles and responsibilities of all concerned have been defined unambiguously and normal Standard Operating Procedures as well as contingency plans to meet all eventualities have been laid down. Prohibitory orders under section 144 of Cr.PC as a measure to further strengthen the security arrangements there have already been promulgated. Steps have been taken to regulate *'darshan'* by forming small batches of 15-20 devotees so that there is no crowding near the makeshift temple at any point of time. All the vacancies of the magistrates, police officers and other ranks have been filled up so that duty officers are available, as per the security scheme, round the clock to take care of any eventuality.

श्री सुरेश पचौरी : आदरणीय सभापति महोदय, विश्व हिन्दू परिषद के लोगों द्वारा 17 अक्टूबर, 2001 को प्रतिबंधित क्षेत्र में जो अनधिकृत प्रवेश किया गया, उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे मुझे एक शायर की कही हुई बात याद आ रही है। उस शायर ने कहा है कि -

"तू इधर-उधर की न बात कर,
यह बता कि कारवां क्यों लुटा"

सभापति महोदय, मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के 1994 के जो डॉयरेक्शंस हैं, उनका हवाला दिया है, मैं उसी से अपनी बात आरंभ करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के डॉयरेक्शंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के डॉयरेक्शंस का जो 1994 का रैफरेंस है, उसको मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं -

"The best solution, in the circumstances, on revival of suits is, therefore, to maintain the *status quo* as on 7.1.1993, when the law came into force, modifying the interim orders in the suits, to that extent, by curtailing the practice of worship by Hindus in the disputed area to the extent it stands reduced under the Act." I underline the words, "practice of worship by Hindus".

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का 1994 का जो डॉयरेक्शन है, उसको जिस ढंग से तोड़-मरोड़कर इस वक्तव्य में बताया गया है, वह दरअसल इस सदन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं आपकी अनुमति से कुछ बातें उठाना चाहता हूं। महोदय, स्वयं मंत्री जी ने स्वीकारा है कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो गई, नॉन-कॉग्निजिबल ऑफेंस दर्ज हो गया लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया है। उन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही हो गई है, मजिस्ट्रेट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ तो कार्यवाही हो गई है जिनको आपने

उस इंसिडेंट के लिए रिस्पांसिबल माना लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है, जिन्होंने वह इंसिडेंट किया है, जिन्होंने अनधिकृत रूप से अयोध्या में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया है। मैं समझता हूं कि इसका पहला मूल कारण यह है कि ये वे लोग हैं जो आए दिन नॉर्थ-ब्लॉक और सत्ता के गलियारों में आपके आस-पास दृष्टिगोचर होते हैं या वहां घूमते रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि 6 दिसम्बर, 1992 की घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, उसी से प्रेरणा पाकर, अभिभूत होकर, उसी ढील का फायदा लेकर इन लोगों को भी प्रेरणा मिली। तीसरा कारण यह है कि जिन लोगों के खिलाफ केस चल रहा है उनके खिलाफ अभी तक नोटिफिकेशन जारी न करने से इन लोगों को लगा कि यू.पी. गवर्नमेंट इसके प्रति चिंतित नहीं है, कंसर्न नहीं है, गंभीर नहीं है इसलिए क्यों न वह भी प्रवेश कर जाएं। अगली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर इस मामले में कहना पड़ा और डायरेक्शन देना पड़ा कि नोटिसेज जारी किए जाएं। सी.बी.आई. जोकि केन्द्र सरकार के अधीन आती है उसको भी नोटिस जारी करने के लिए कहना पड़ा। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों से संबंधित नोटिस जारी करने के लिए कहना पड़ा उसमें इस सरकार में शामिल तीन मंत्रियों के बारे में भी उल्लेख है। यह इस सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। खासतौर से गृह मंत्री जी जो कि इस मामले में सीधे जुड़े हुए हैं उनसे भी संबंधित यह बात है। मान्यवर, गृह मंत्री जी जब यह कहते हैं कि राम जन्म भूमि का जो मुद्दा था उस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ा दी, इससे भी प्रेरणा पाकर विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने अनाधिकृत रूप से उस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया। मान्यवर, चाणक्य ने कहा है कि राजा जब तक राजा हुआ करता है तब तक उसको सोच समझकर एक संयमित संभाषण करना चाहिए। जब तक आप कुछ नहीं थे और जब आपने रथ यात्रा प्रारम्भ की थी हम उस मुद्दे पर, माननीय गृह मंत्री जी, नहीं जाना चाहते कि आपने कानपुर में क्या उत्तेजक भाषण दिया था। हम उस मुद्दे में भी नहीं जाना चाहते कि पटना में जिस वजह से आपकी गिरफ्तारी हुई और उत्तर प्रदेश में समय-समय पर अलग-अलग जगह आपने क्या उत्तेजक भाषण दिये और जिसकी परिणति यह हुई कि 6 दिसम्बर, 1992 की लज्जाजनक घटना राष्ट्रीय त्रासदी हुई। लेकिन जब आपने गृह मंत्री का पद संभाल लिया है और आप जब सरदार पटेल बनना चाहते हैं तो चाणक्य की नीति का अनुसरण करना चाहिए, यह मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्रश्न यह उठता है कि यह विश्व हिन्दू परिषद क्या है? यह विश्व हिन्दू परिषद वह है जिसको कि इसी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन नम्बर so-933 के जरिए 30 दिसम्बर, 1992 को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट-1967 के तहत जो ट्रिब्यूनल गठित की थी उस ट्रिब्यूनल में माननीय न्यायाधीश श्री बहरी थे और उन्होंने भी विश्व हिन्दू परिषद के बारे में यह कहा था कि There was a sufficient case for declaring the Vishwa Hindu Parishad as an unlawful association.

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद जिस पर प्रतिबंध लगाया गया हो, ऐसा विश्व हिन्दू परिषद जिसकी समय-समय पर गतिविधियां बहुत आपत्तिजनक रही हों ऐसे विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में आप क्यों संकोच कर रहे हैं देशवासी आपसे यह जानना चाहते हैं? विश्व हिन्दू परिषद के लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न करना कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न कर रहा है। मान्यवर, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जो वक्तव्य दिया है उसमें आपने खुद स्वीकारा है - Section 7(2) of the Act, which you have mentioned, requires the Central Government to ensure that the position existing before the commencement of this Act, that is, 7.1.1993

shall be maintained. प्रश्न यह उठता है कि जब आपने इसको स्वीकारा तो इसके बारे में आप चुप क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट का 1994 का जो डायरेक्शन था, वह क्या कहता है? जो मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़कर सुनाया है और क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने जो प्रवेश 17 अक्तूबर, 2001 को किया है क्या वह सुप्रीम कोर्ट का वॉयलेशन नहीं है? क्या वह अनधिकृत प्रवेश नहीं है और यदि अनधिकृत प्रवेश है तो आपने अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा देश के सभी समाचार पत्रों ने इसे छापा है और उसके बाद आज स्थिति यह हुई कि सदन में हम चर्चा कर रहे हैं। हम यह चाहते थे कि जब यह चर्चा आए तो जहां एक तरफ आप कहें कि अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है। दूसरी तरफ आप यह भी बताएं कि आपके अपने जो बहुत ही परम प्रिय विश्व हिन्दू परिषद के लोग हैं, उनके खिलाफ आपने अभी तक क्या कार्यवाही की है? आपने अपने वक्तव्य में यह कहा कि The State Government has further informed that the action of this person, in relation to VHP people, did not constitute a violation of the Supreme Court order to maintain the *status quo* at the site. मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 में बाबरी मस्जिद डैमोलीशन से एक दिन पहले यानी 5 दिसम्बर 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें आप भी शामिल थे और उनको निर्देश दिये थे कि वह उस समय त्याग पत्र न दें ताकि वह सारा काम हो जाए जिसकी रणनीति आप लोगों ने बनायी थी। तो क्या उसी पार्टी के मुख्य मंत्री के द्वारा दिये गये वक्तव्य से आप सहमत हैं? महोदय, यह सदन में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का वॉयलेशन हुआ है कि नहीं, इस संबंध में आपका क्या मंतव्य है? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री नहीं हैं, आप एन.डी.ए. सरकार के गृह मंत्री हैं। आप मात्र आर.एस.एस. के स्वयं सेवक नहीं हैं, आप इस देश के गृह मंत्री हैं इसलिए आपका यह दायित्व बन जाता है कि इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जो समुचित और कठोर से कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, वह उठाए जाने चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां आपने यह कहा कि A non-cognisable FIR was registered against them u/s 186 of the IPC for obstructing public servants in the discharge of their public functions. क्या आपने किसी कानूनविद् से इस संबंध में सलाह ली है? यह जो नॉन कॉग्नीजेबल ओफैंस है, यह कॉग्नीजेबल बनता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वॉयलेशन से संबंधित कौन सा ओफैंस बनता है, इसका जिक्र आपने इसमें नहीं किया है। इस संबंध में अच्छा यह होता कि आपके पीछे जो माननीय कानून मंत्री बैठे हुए हैं, आप उनसे विचार-विमर्श कर लेते, फिर इस वक्तव्य को जारी करते क्योंकि इस वक्तव्य से तो यह लग रहा है कि यह वक्तव्य गृह मंत्री का नहीं है। यह आर.एस.एस. की हिज़ मास्टर्स वॉयस है और नागपुर के कार्यालय में तैयार किया हुआ वक्तव्य है। यह गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक में तैयार किया हुआ वक्तव्य नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तराचल) : थोड़ी सी भूल आपसे भी हो गयी। तत्कालीन प्रधान मंत्री नरसिंहराव से आप भी पूछ आते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, जो आपने अपने वक्तव्य में आगे कहा है कि भविष्य में कुछ

ऐसा न हो पाए, इसके लिए समुचित कदम उठाए जाने संबंधी निर्देश आपने दिये हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे निर्देश दिये हैं? एक तरफ तो विश्व हिन्दू परिषद और उसके नेता और आर.एस.एस. के प्रमुख नेता - जिस आर.एस.एस. की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है - दम्भ के साथ यह कहते हैं कि बसंत पंचमी के अवसर पर 17 फरवरी 2002 को वह निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देंगे। अगर आप यह बताते कि बसंत पंचमी के दिन इस प्रकार का निर्माण कार्य आप प्रारम्भ नहीं होने देंगे, और इसके लिए आपने इस प्रकार की तैयारी की है तो अच्छा होता। खैर, देर आए, दुरुस्त आए। अंत में जब आप उत्तर देंगे तो मैं आशा करता हूं कि इस पहलू पर भी आप प्रकाश डालेंगे। महोदय, खुद विश्व हिन्दू परिषद और आर.एस.एस. ने यह घोषणा की है कि अयोध्या में बसंत पंचमी के दिन 108 जगहों पर यज्ञ प्रारम्भ हो जाएगा और हजारों लोग वहां एकत्रित होंगे। यह स्थिति वैसी ही होगी जैसा आपने बाद में लिब्राहन कमीशन के सामने यह कहा था कि "हजारों लोग वहां एकत्रित हो गये थे और वह 6 दिसम्बर का दिन मेरे लिए बड़ा कष्टप्रद दिन था लेकिन हजारों लोगों को मैं नियंत्रित नहीं कर पाया, मेरा कहना वह नहीं माने। "आप फिर यही कहेंगे कि बहुत लोग बसंत पंचमी के दिन एकत्रित हो गए थे इसलिए समुचित कदम नहीं उठाए जा सके। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पहलू पर भी माननीय गृह मंत्री जी प्रकाश डालें क्योंकि यह सर्वविदित है कि यह जो सरकार है और खास तौर से कुछ मंत्रालय - ऐसे मंत्रालय, जिन मंत्रियों का मैंने संकेत-संकेत में जिक्र किया है, वह मंत्रालय - खास तौर से गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खेल मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय से जुड़े हुए सारे मंत्रालय रिमोट कंट्रोल से विश्व हिन्दू परिषद और आर.एस.एस. के द्वारा चल रहे हैं। इसलिए पूरे देश को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि एक तरफ आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर वे कानून तोड़ते हैं तो दूसरी तरफ जैसा आपने खुद पहले पैरे में कहा, "This Government is of the view that the problem in Ayodhya can be solved either through mutual consensus among all the parties concerned, or on the basis of adjudication by the court." क्या आप इस सदन को और देशवासियों को विश्वास दिलाएंगे कि जब तक दोनों पक्षों की मान्य सहमति नहीं होती या माननीय कोर्ट का इस संबंध में निर्णय नहीं होता तब तक आप वहां कानून को तोड़कर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने देंगे? यह इस सदन को विश्वास दिलाए जाने की आवश्यकता है और इससे भी ज्यादा आवश्यकता यह है कि जो इस प्रकार के कृत्यों में अभी शामिल हैं और जिनके भविष्य में शामिल होने की संभावना है उनके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि 6 दिसम्बर, 1992 को कुछ मनचले लोगों ने ऐसा कृत्य कर दिया जिसके कारण न केवल देश शर्मिन्दा था बल्कि जिस अमेरिका की यह सरकार बार-बार दुहाई देती है उस अमेरिका ने भी उस राष्ट्रीय त्रासदी को धिक्कारा था। वही स्थिति 17 अक्तूबर, 2001 को हुई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को धता बताकर, सारे कानून कायदों को ताक में रखकर, विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने जो दुष्कृत्य किया है, वह ऐसा कृत्य किया है जो कि कानून की दृष्टि से वाजिब नहीं था। इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब-जब अयोध्या से जुड़ा मसला सदन में उठा है या सदन के बाहर उठा है तो पूरे देश में कुछ लोगों के द्वारा एक साम्प्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश की गई और वहीं सैक्यूलर फोर्सेस के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाए। आज इस देश में एक शांति और सहिष्णुता की आवश्यकता है,

साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लेकिन न जाने क्यों इस सरकार के मन में आगे आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आता है। मैं नहीं जानता कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में कब चुनाव कराने की घोषणा करेगा। लेकिन यह जानता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् और आर.एस.एस. जब 17 फरवरी 2002 को निर्माण करने की घोषणा कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में 2002 में चुनाव उनके सामने हैं। सरकार आज यह कह सकती है कि इनका वास्ता विश्व हिन्दू परिषद् और आर.एस.एस. से नहीं है, इनका वास्ता तो मात्र एन.डी.ए. से है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हाथ में अलग-अलग अंगुलियां हुआ करती हैं वे अपने अलग-अलग काम करती हैं और खाते वक्त पूरी मुट्ठी एक हो जाया करती है, यही स्थिति विश्व हिन्दू परिषद्, यही स्थिति बजरंग दल, यही स्थिति आर.एस.एस., यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और अंत में यही स्थिति एन.डी.ए. की है। जब इनको ऐसा कृत्य करना हो जिससे इनको राजनीतिक लाभ पहुंच सके, भले ही देश में साम्प्रदायिकता की आग भड़क उठे तो इसके लिए सारी अंगुलियां एक हो जाया करती हैं। इस बात से हम सबको बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। देश हमारे सामने होना चाहिए, राजनीति और वोटों की राजनीति हमारे सामने नहीं होनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। मान्यवर, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इसे गंभीरता से लें। देशहित को ध्यान में रखते हुए, गंभीरता से कदम उठाने संबधी निर्देश दें। यह आपके माध्यम से मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है।

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, he has made a very excellent speech. We must confess it. ...*(Interruptions)*... Totally political. ...*(Interruptions)*... Every word was political. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, this is a very extraordinary situation. A Minister is ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : अच्छा-अच्छा अब ठीक है ...**(व्यवधान)**...

श्री बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, यह आर.एस.एस. का नहीं है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sarla Maheshwari. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are proud of the RSS. The RSS stands for 'Ready for Self-less Service'. ...*(Interruptions)*... You go there once ...*(Interruptions)*... You will get converted. ...*(Interruptions)*... You will get converted..*(Interruptions)*... Don't take its name unnecessarily. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sarla Maheshwari. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, he is a Minister of Rural Development. Are we discussing something on rural development?...*(Interruptions)*... He is a Minister of Rural Development ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sarla Maheshwari ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Are we discussing RSS? ...*(Interruptions)*... What is this? I am a Member of the House...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Sarla Maheshwari...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, he has not taken your permission...*(Interruptions)*...

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh): The RSS is not being discussed...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except Sarla Maheshwari.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति जी, मैं गहरी चिंता और गहन दुख के साथ यह कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी का यह बयान एक शर्मनाक दलील है हमारे देश की एकता और अखंडता के साथ, हमारे देश की शांति और सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधी तत्वों को बचाने की। गृह मंत्री जी के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि सरकार की अमानत में हम अपने देश की बागड़ोर नहीं दे सकते। इस देश की बागड़ोर, इस देश की शांति, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश का भाईचारा इस सरकार की अमानत में सुरक्षित नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, सभापति जी, आप वहां विराजमान है और आपने हमारे देश के गृह मंत्री की इस दलील को पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस तरह से यह दलील, जो हमारे देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, इतना बड़ा खतरा है देश के अस्तित्व के सामने उस चुनौती को, उस खतरे को बिल्कुल नजरअंदाज करती है और कानून के मामूली नुक्तों के आधार पर उन अपराधियों का बचाव करने की कोशिश करती है। यह बहुत ही शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि अगर हम पूरा इतिहास उठाकर देखें तो इनके इरादे भी इसी बात को साबित करते हैं कि इनका रास्ता हमारे देश की तबाही और बर्बादी का रास्ता रहा है। सभापति जी, यह जो अयोध्या की घटना घटी है यह अपने आप में कोई अलग-थलग घटना नहीं है। इसके साथ घटनाओं की पूरी एक श्रृंखला जुड़ी हुई है। 11 सितम्बर के बाद ही हमने देखा कि हमारे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक अभियान सा छेड़ दिया गया। सबसे पहले सिमी पर बैन लगाया गया, फिर प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि मार्च, 2002 तक अयोध्या के मसले का समाधान कर लिया जाएगा, फिर आगरा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे की बैठक हुई जिसमें हमारे देश के केंद्रीय मंत्रियों ने एक के बाद जो भड़काऊ भाषण दिए वे इसके साक्षी हैं। सभापति जी, वे किस तरह के बयान थे? हमारी केंद्रीय खेल मंत्री ने अपनी चिर-परिचित विष वमन करने की मुद्रा में वहां इकट्ठा हुए नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही वे नौजवान हैं जिन्होंने एक मस्जिद पर भगवा ध्वज फहराया था और अब वह दिन दूर नहीं जब लाहौर और कराची पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। लगभग इसी भाषा में हमारे केंद्रीय संसदीय मंत्री और सूचना तकनीक मंत्री ने कहा कि मस्जिद गिराना तो मामूली बात थी, मंदिर बनाने की कसक अभी बाकी है। सभापति जी, उसी सम्मेलन में हमारे गृह मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वर भी कम उत्तेजक नहीं थे और इस सबका सीधा-सीधा परिणाम यह हुआ कि आगरा में जमा युवकों ने ...**(व्यवधान)**... रिलेवेंस नहीं है? आपको रिलेवेंस कभी नजर नहीं आएगा ...**(व्यवधान)**... इसका परिणाम यह

हुआ कि इन भड़काऊ और उत्तेजक बयानों से वहां के नौजवान आगरा के ताज महल में घुस गए। मोहब्बत के उस पाक स्थल को नापाक करने की कोशिश की और जिस तरह की गुंडागर्दी और अश्लील और असभ्य हरकतें वहां की गई उनसे हिन्दुस्तान का सिर शर्म से झुक गया। ...(व्यवधान)... लेकिन एक भी मंत्री ने यह नहीं कहा कि यह शर्मनाक कार्यवाही की गई। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं। अगर सारे तथ्य इनके खिलाफ जाते हैं तो इसमें मेरा दोष नहीं है। इनको कहिये कि अपने ज़मीर में झांकें, अपने कार्यों को देखें तब शायद इनका खून खौलेगा नहीं और यह सोचेंगे, समझेंगे; विवेक से काम लेंगे। मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहूंगी कि इससे आगे की श्रृंखला थी विश्व हिन्दू परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंहल के नेतृत्व में प्रतिबंधित स्थल पर जा कर पूजा अर्चना की गई ...(व्यवधान)... पूजा अर्चना के नाम पर हिन्दुस्तान की जनता को आपने बहुत गुमराह किया है। धर्म के नाम पर इतना गुमराह किया है, इतने अधार्मिक काम किये हैं कि लोगों ने यह कहा कि अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिये। जिस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था, आप भी बोले थे जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या की थी। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, आप जानते होंगे गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था अगर यही धर्म है तो मुझे यह धर्म नहीं चाहिये और यह वही लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... सभापति जी, इस तरह से बड़ा मुश्किल है अपनी बात कहना। मुझे बोलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं? सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जिस तरह से आगरा में मूक बना रहा, उसी तरह से अयोध्या में भी पंगु बना रहा। हमने देखा है कि हमारे देश के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वहां जो कुकृत्य किया गया। लेकिन उस कुकृत्य करने वालों में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि सुरक्षा कर्मियों को इधर-उधर कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको निलम्बित कर दिया गया है। लेकिन जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सभापति जी, उसके बाद की कड़ी भाजपा का स्वर्ण जयन्ती समारोह है। इस समारोह में हमारे माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित थे। हमारे गृह मंत्री जी ने बार बार इस बात की दुहाई दी, अयोध्या मसले को दोहराया कि हमें इस राम मन्दिर आन्दोलन के मुद्दे को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि यही राम मन्दिर का मुद्दा ही है जिसके कारण आज हम हिन्दुस्तान पर राज कर रहे हैं। अगर हमने उत्तर प्रदेश को बचाना है तो हमें इसी राम मन्दिर के मुद्दे की पूंछ पकड़ कर के आगे बढ़ना होगा। गृह मंत्री जी से मेरा सवाल है ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, इस तरह से बहुत मुश्किल है बोलना। आप सुनिये गृह मंत्री जी बहुत समर्थ हैं, आराम से जवाब दे देंगे, आपको उनकी पैरवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आए नहीं हैं लेकिन जो चुनाव के पहले का प्रिरिय्यु आ रहा है, वहां आपकी जमीन खिसकती हुई बता रहा है। मंत्री जी भी बोल रहे हैं, सदस्य भी बोल रहे हैं ...(व्यवधान)... सभापति जी, आप थोड़ा सा तो निर्देश दीजिए ...(व्यवधान)... सभापति जी, यह जो सारा घटनाक्रम है ...(व्यवधान)... गृह मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी ...(व्यवधान)... वे ध्यान न दें तो भी चलेगा, आप ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है - यह जो सारा प्रकरण चल रहा है, सारी घटनाएं जो योजनाबद्ध, नियोजित ढंग से चल रही हैं उनका सारा का सारा सूत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी जो सरकार चल रही है हमारे गृह मंत्री जी और हम सभी वाकिफ हैं कि इस सरकार ने हमारे देश में भ्रष्टाचार

और कदाचार के अब तक के तमाम चले आ रहे कीर्तिमानों को शायद तोड़ दिया है और यह सरकार जनता से पूरी तरह अलग थलग पड़ गयी है इससे देश ...(व्यवधान)... आप चुप रहिए ...(व्यवधान)... सभापति जी, बड़ी मुश्किल है...

श्री सभापति : आप बोलिए ...(व्यवधान)... आप बोलती रहिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : कैसे बोलूं ...(व्यवधान)...

सभापति जी, उत्तर प्रदेश का मसला मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसके सारे सूत्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और शासक वर्ग की हमेशा यह नीति रही है, हमने देखा है कि जब भी अपने निहित स्वार्थों को साधने में ये असमर्थ रहते हैं तब देश की जनता को बांटने की कोशिश करते हैं ताकि देश की जनता का ध्यान उसकी बुनियादी समस्याओं से हट जाए और इस तरह के क्षुद्र मुद्दे उठाकर देश को विभाजित करने की कोशिश की जाती है। इसलिए आज वहां आरक्षण का ढिंढोरा पीटा जा रहा है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। यह भी नहीं चलेगा तो अंत में फिर से अयोध्या का मुद्दा पकड़ लिया गया है क्योंकि ये जानते हैं और इनकी पार्टी की समझ है कि अयोध्या का मुद्दा ही वह है जो शायद हमारी डूबती नैया को कुछ अंश तक पार लगा सकता है। इसलिए सभापति जी, मैंने यह मुद्दा उठाया है।

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ऐसे हालात में क्या अयोध्या के मुद्दे को उछालना हमारे देश के वृहत्तर हितों के साथ खिलवाड़ नहीं है। मेरा मंत्री जी से यह भी सवाल है कि क्या यह सच नहीं है कि बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने की शर्मनाक घटना के बाद हमारा देश जो दुनिया में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने वाले देश के रूप में जाना जाता था, उस देश की छवि इन्होंने धर्मोन्माद के नाम पर एक सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिद को गिराने वाले बर्बर लोगों के देश के रूप में परिणित कर दी है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि क्या यह सच नहीं है कि भारत की इस बिगड़ी हुई छवि के कारण आज आतंकवाद के विरुद्ध जो विश्व व्यापी लड़ाई चल रही है उसमें भारत की आवाज में वह बल नहीं आ पा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि आज भी पश्चिम के अनेक देशों में भारतीय जनता पार्टी को एक उग्र हिंदुत्ववादी धार्मिक तत्ववादी पार्टी के रूप में पहचाना जाता है और भारत सरकार की नीतियों पर भी युद्धमदेही की नीति की छाप ये लोग देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में सभापति जी, फिर से एक बार अयोध्या के मुद्दे को उछालना, मैं यह कहना चाहूंगी कि वास्तव में यह उनके निहित स्वार्थों की साधना की घृणित राजनीति का ही परिचायक है। सभापति जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह सच नहीं है कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का यह घिनौना खेल ही तालिबानों और ओसामा बिन लादेनों को जन्म देता है जो किसी भी राष्ट्र के लिए सिवाय तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाते। सभापति जी, श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट हमने देखी है। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या की घटनाओं ने किस प्रकार सारे देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस कर रख दिया था। हजारों लोगों को बेघर होते हुए हमने देखा है, बहनों को बेवा होते हुए देखा है और बच्चों को यतीम होते हुए देखा है। मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है कि इन सब के बावजूद वे और इनकी पार्टी इसी अयोध्या मुद्दे से आखिर क्यों चिपकी हुई है? इसके जरिए क्यों वे अपनी राजनीतिक गोटियां लाल करना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधान मंत्री जी ने विज्ञान भवन में हुए विभिन्न धर्मों के सम्मेलन में कहा था कि धार्मिक कट्टरता किसी भी राष्ट्र का क्या हश्र कर सकती है इसका अनुभव हमें अफगानिस्तान में हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें जीवन की बहुलता को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन भाजपा की यह अयोध्या केन्द्रित राजनीति और संघ परिवार का सांस्कृतिक

राष्ट्रवाद क्या इसी धार्मिक कट्टरता का पर्याय नहीं है, क्या यह हमारे देश की विविधता और बहुलता पर सीधा हमला नहीं है? आज यह सच्चाई है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री इसी अयोध्या के मसले पर इतनी तरह की बातें इतनी बार कह चुके हैं कि अब किसी बात पर यकीन नहीं होता। सभापति जी, पिछले वर्ष प्रधान मंत्री जी ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना को राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण कहा था। दोमुहीं बातों की अगर प्रतिस्पर्द्धा हो तो भाजपा के नेता सब से अधिक बाज़ी मार ले जायेंगे। हमारे गृह मंत्री जी और खेल मंत्री जी ने लिब्राहन आयोग के सामने जिस प्रकार की गलतबयानियां, जिस प्रकार की बयानबाज़ियां, जिस तरह की उलटबाज़ियां रखीं, उनसे भी पता चलता है कि दोमुंहापन संघ परिवार के लोगों की शायद एक बुनियादी चारित्रिक विशेषता है। मंत्री जी से मेरा सवाल है कि क्या यह सच नहीं है कि अयोध्या के मामले पर यह सरकार कतई निष्पक्ष या निरपेक्ष नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस मामले में इस सरकार को पंच मानने को तैयार नहीं है। फिर किस आधार पर हमारे प्रधान मंत्री यह बयान दे रहे हैं कि मार्च, 2002 तक अयोध्या के मसले का समाधान हो जाएगा? मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि क्या वे यह नहीं जानते कि अयोध्या मसला अदालत में लंबित है? ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री जी की यह बयानबाज़ी क्या अदालत की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती या प्रभावित नहीं करती? जिस मसले पर यह सरकार पंच बनने की अपनी हैसियत खो चुकी है, गंवा चुकी है, उस मसले पर क्या एकमात्र हल यही नहीं हो सकता कि हम उस मसले को अदालत के सुपुर्द कर दें? सभापति जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक श्री सुदर्शन ने विजय दशमी के अवसर पर अपने भाषण में अपने स्वयं सेवकों से सरकार की परवाह न करते हुए यह कहा था कि आप हथियारों से लैस हो जाइए और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की हुंकारे भी उन्होंने भरी थी। ...(व्यवधान)... सभापति जी, क्या यह रास्ता भारत के तालिबानीकरण का रास्ता नहीं है? पिछले दिनों हमने देखा कि कानून की मामूली खामियों का लाभ उठा कर उत्तर प्रदेश सरकार और सी.बी.आई. ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के संगीन अपराधपूर्ण मामलों में आरोपी मंत्रियों को बरी कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से सी.बी.आई. को और उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश जारी किया है कि वह मुकदमें को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हो और नोटिस जारी करे। सभापति जी, मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि क्या सत्ता का दुरुपयोग करके किसी भी मामले के आरोपियों को बचाने की कोशिश क्या किसी भी नैतिक दृष्टि से उचित है? वही उत्तर प्रदेश सरकार आज 'पोटो' के प्रति अपनी बहुत बड़ी संवेदनशीलता दिखा रही है, बहुत आग्रह दिखा रही है। उस सरकार के मुख्य मंत्री का यह कहना है कि भले ही यह कानून संसद् में पास हो या न हो, देश माने या न माने, हम अपने राज्य में इस कानून को जरूर लागू करेंगे। यानी इस तरह के जनतंत्र विरोधी, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन करने वाले कानून के प्रति वहां के मुख्य मंत्री का इतना आग्रह कि हम इसे लागू कर देंगे, यह किस मनोवृत्ति को दर्शाता है? क्या यह भाजपा और संघ परिवार के लोगों की फॉसिस्ट मनोवृत्ति का सूचक नहीं है? सभापति जी, जिस सरकार ने हाल ही में अयोध्या में गैर कानूनी कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ मामूली कार्यवाही तक नहीं की वह सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए 'पोटो' जैसे कानून के समर्थन में उतर पड़ी है। मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या वे यह जानते नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का जनक कौन है? वे कौन लोग हैं जो छात्राओं पर ड्रेस कोड लागू करते हैं, जो वैलेंटाइन डे पर प्रतिबंध लगाते हैं और जो हम औरतों पर झूठी, थोथी धार्मिक नैतिकता के जरिए हमारी स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश

करते हैं, जो हर क्षण अल्पसंख्यकों को आतंकित करने की योजनाओं में मुब्तिला रहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि आर.एस.एस. के गुरु माने जाने वाले गोलवलकर जी ने कहा था कि भारत में हर मुसलमान बस्ती एक मिनी पाकिस्तान है और इन बस्तियों को उजाड़ना पाकिस्तान पर फतह करने के समान है, एक राष्ट्रवादी वीरतापूर्ण कार्य है? क्या इस तरह का सोच एक आतंकवादी सोच नहीं है? सभापति जी, गौर करने लायक बात यह है कि ये सारी-की-सारी घटनाएं तब घट रही हैं जब 11 सितम्बर की घटना घट चुकी है और सारी दुनिया इस धार्मिक तत्ववाद के प्रति संवेदनशील हो चुकी है। इस सच्चाई को जानते हुए भी हमारे भा.ज.पा. के नेता सिर्फ उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस कदर अपने होश गंवा चुके हैं कि जिस आग से वे खेल रहे हैं वह आग हमारे देश को किस रास्ते पर ले जाएगी इस की उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। सभापति जी, जिस प्रकार तालिबानी अपने देशवासियों को निर्ममता से मारकर बहादुरी और वीरता का परिचय दिया करते थे, संघ परिवार भी उसी रास्ते का पथिक है। जो इन के कुकृत्यों में शामिल नहीं है, उन्हें तत्काल राष्ट्रविरोधी करार दिया जाता है। उसे राष्ट्र विरोधी करार देने में वे जरा भी नहीं हिचकते हैं। यही फासीवादी तरीका है। मान्यवर, हिटलर जर्मन राष्ट्रवाद की बात करता था और कहता था कि जो उस की नाजीवादी पार्टी का सदस्य नहीं है, जो हिटलर का समर्थक नहीं है, वह राष्ट्रवादी नहीं है। इस प्रकार हिटलर ही राष्ट्र बन गया था। इसी तर्ज पर हमारा संघ परिवार 'हिंदू ही है राष्ट्र' का नारा देता है और हिंदू भी वही है जो संघ परिवार का सदस्य है या उस का समर्थक है। ऐसे अंध राष्ट्रवाद के साथ इन धार्मिक तत्ववादियों ने धर्मांधता के विषाणुओं को भी जोड़ दिया है। मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि पिछले दिनों मुसलमानों के अलावा ईसाइयों और बौद्धों के विरुद्ध भी संघ परिवार लगातार घृणा फैलाता रहा है। क्या यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुसोलिनी के फासीवाद और हिटलर के नाजीवाद के बाद खुमैनीवाद और तालिबान का संस्करण नहीं है? सभापति जी, क्या हमारे मंत्री जी को अयोध्या में ढहाई गई बाबरी मस्जिद और अफगानिस्तान के बोमियान में बुद्ध की ढहाई गई प्रतिमा में कोई साम्य नजर आता है? सभापति जी, तालिबान ने बुद्ध की उस विशालकाय प्रतिमा को इसलिए ढहा दिया क्योंकि वह समझते थे कि यह मूर्ति-पूजकों की है, काफिरों की है और उस को ढहाकर वे अपने अहम की तुष्टि करते थे और इसी तरह संघ परिवार भी बाबरी मस्जिद को गुलामी का प्रतीक मानता है। क्या मंत्री जी को इस अयोध्या प्रकरण में संघ परिवार की गतिविधियों में ऐसे भयावह तत्व दिखाई नहीं देते जिन्हें यदि बढ़ने का मौका दिया गया तो वे हमारे देश में जनतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर देंगे?

सभापति जी, अंत में मैं भा.ज.पा. और उस के नेताओं व रा.ज.ग. सरकार के सहयोगियों से यही अपील करना चाहूंगी कि यदि उन में अभी भी हमारे राष्ट्र के प्रति जरा सी भी चिंता शेष है तो कृपा कर के इस अयोध्या के मसले पर दखलंदाजी करने तथा पंचगिरी करने का मोह छोड़कर इस मुद्दे को आप अदालत के सुपुर्द कर दें। मैं गृह मंत्री जी से यह अपील करना चाहूंगी कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर इस देश की जनता को लड़ाने की कोशिश न करें। मंत्री जी आप से मेरी यही अपील है कि,

"न मंदिर में न मस्जिद में न खराबात में कोई,
किस की अमानत में दें गमे जहां का हिसाब,
शायद उन्हीं में से कोई कफन फाड़कर निकले
चलो शहीदों की मजारों पर लगाएं अजान।"

अगर उन शहीदों को याद करेंगे आप तो इस खून की होली से खिलवाड़ करना बंद करेंगे। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ, जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी। अपनी बात रखने से पहले मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि मैंने किसी की बात में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए मुझे भी अपनी बात बिना हस्तक्षेप के कहने दी जाए।

सभापति जी, यहां बहुत गरमी दिखाई गई, बहुत तेजी दिखाई गई। विपक्ष की ओर से और विशेष रूप से माननीय सदस्या सरला जी की ओर से यह कहा गया कि यह सरकार, यह दल और संघ परिवार अयोध्या मसले को उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहता है, अल्पसंख्यकों को बांट देना चाहता है, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है। यहां एक बड़ा छोटा सा मुद्दा था। वह मुद्दा सच है या गलत है, उस पर बोला जाना था, लेकिन उस पर नहीं बोला गया। सारी राजनीति की गई और वह भी अत्यन्त घृणित स्तर की राजनीति की गई। मुझे दुख इस बात का है कि जो विषय यहां नहीं था, उस विषय को यहां लाया गया। यह सरकार आई और इन पिछले साढ़े तीन सालों में इस देश में सबसे कम सांप्रदायिक दंगे हुए। ...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार (गुजरात) : करने वाले आप ही लोग थे। कहां से होते? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Only the hon. Member, Shri Narendra Mohan, has been permitted to speak.

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, मुझे थोड़ी सी हृदय की प्रोब्लम है, मैं जोर से नहीं बोलूंगा और अगर यह लोग भी न टोकें तो कृपा होगी अन्यथा जैसी इनकी इच्छा हो। मैं यह कह रहा था कि आप लोग जो स्थितियां बता रहे हैं, आप देखें इन साढ़े तीन सालों में अयोध्या का मसला अगर किसी ने उठाया है तो विपक्ष ने ही उठाया है। हमने कभी अयोध्या के आधार पर राजनीति नहीं की, न तब की थी, न आज कर रहे हैं और न ही आगे करेंगे। जो अयोध्या का मामला है, या तो अदालत के आदेशों से या फिर आपके सद्भाव से उस पर निर्णय होगा। यही इस सरकार की नीति है, यही हमारे दल की नीति है। हमने यह कभी नहीं कहा, इस दल की ओर से यह कभी कहा ही नहीं गया कि हम जबरन वहां जाकर कोई मंदिर बना देंगे। सभापति जी, सबसे दुख की बात यहां यह देखने में आ रही है,जिसे सरला जी मस्जिद कह रही हैं ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : सभापति जी, माननीय सदस्य भी हिन्दी में बोल रहे हैं, मैंने भी हिन्दी में अपनी बात शुरू की थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य की प्रति अभी तक हिन्दी में नहीं आई। यह बहुत खेदजनक है, राष्ट्रभाषा हिन्दी का अपमान है।

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, मेरे मित्र पचौरी जी ने जो कहा है, मैं उनका क्या उत्तर दूं, वह तो माननीय गृह मंत्री जी देंगे। लेकिन, दुख की बात यह है कि इसे बाबरी मस्जिद आप कह रहे हैं, सरला जी या हमारे मित्र सुरेश पचौरी जी कह रहे हैं, जबकि उसे विवादित ढांचा कहा गया है। भारत सरकार का जो श्वेत पत्र है ...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी : आपने इस वक्तव्य को देखा है, सुना है? गृहमंत्री जी के वक्तव्य में विवादित ढांचा शब्द नहीं है, राम मंदिर - बाबरी मस्जिद लिखा है। यह गृहमंत्री जी का बयान है, जो उन्होंने पढ़ा है। अभी हिन्दी में तो नहीं आया है, अंग्रेजी का है, उससे जितना मैं समझ पाया हूँ, ऐसा है।

श्री संघ प्रिय गौतम : हिन्दी में आ रहा है।

श्री नरेन्द्र मोहन : जो यह विवादित ढांचा है, उसको ढहाने में इस दल की भूमिका नहीं रही है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। फिर भी आरोप इस दल पर लगाए जा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि इन साढ़े तीन सालों में अयोध्या की राजनीति किस ओर से की जा रही है। कहा जा रहा है कि विश्व हिन्दू परिषद के चार सदस्य, चार पदाधिकारी अयोध्या में राम के दर्शन करने गए, राम-लला के दर्शन करने गए। लेकिन, उससे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के किस भाग की, किस निर्णय की अवहेलना हुई? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि हिन्दुओं को राम-लला की मूर्ति की पूजा करने, दर्शन करने की इजाजत है। मूर्ति की पूजा करने पर, दर्शन करने पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

श्री सुरेश पचौरी : यह रेफरेन्स है ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Mr. Suresh Pachouri, let him complete. Thereafter, you can make your point.

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, अयोध्या पर जो ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: It is one O' clock. I adjourn the House for lunch till 2 O' clock.

The House then adjourned for lunch
at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock,
THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Now, Shri Narendra Mohan is to continue.

श्री नरेन्द्र मोहन : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि पूजा करने का अधिकार हर हिंदू को है और अयोध्या में राम लला के दर्शन करने पर न तो सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रतिबंध लगाया और न पूजा करने पर कोई प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो अपना निर्णय दिया है, उसके 12 अंश हैं। अगर मैं उन्हें विस्तार से पढ़ूं तो उसमें समय लगेगा। इन 12 अंशों में से विपक्ष मुझे बताए कि कौन से भाग का उल्लंघन हुआ है।

In the first part it is mentioned that sub-section (3) of section 4 of the Act abates all pending suits and legal proceedings without providing an alternative dispute resolution mechanism for the resolution of the dispute between the parties thereto. In the second part it is mentioned that

irrespective of the status of a mosque, it can be acquired by the Government. It is also mentioned here that a mosque does not have a greater status than any other religious place of worship. In the third part it is mentioned that the pending suits and other proceedings relating to the disputed area within which the structure stood, stand revived. इसमें भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। In the fourth part it is mentioned that the vesting of the said disputed area in the Central Government by virtue of section 3 of the Act is limited, as a statutory receiver--the Government of India is only a statutory receiver--with the duty for its management and administration according to section 7 requiring maintenance of the *status quo* therein under sub-section (2) of section 7 of the Act. The duty of the Central Government, as a Statutory Receiver--it is the operative part--is to hand over the disputed area in accordance with section 6 of the Act, in terms of the adjudication made in the suits for the implementation of the final decision therein. It is also mentioned that this is the purpose for which the disputed area has been so acquired. विश्व हिन्दू परिषद के किसी भी सदस्य ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया भारत सरकार के काम में कि वह किसी को सौंप दे। केवल भारत सरकार का दायित्व तो इतना है कि वह स्ट्रक्चर की रक्षा करे। क्या भारत सरकार ने अपने इस दायित्व का पालन नहीं किया, क्या इस स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ की विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने? कौन सा अपराध हो गया जिसके बारे में इस तरह के आरोप लगा दिए गए। उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने और प्रधान मंत्री जी ने अयोध्या में जो भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी लेप्स हुई है उसकी स्वयं भर्त्सना की है और इस पर भी गृह मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी लेप्स हुई है अगर थोड़ी सी कहीं पर, तो क्या है, सिक्योरिटी लेप्स है। उन्होंने ताला खुलवाने की जिद की और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ताला खुलने के बाद अंदर जाकर दर्शन किए। ताला खोला गया था, ताला जबर्दस्ती तोड़ा नहीं गया, ताला खोला गया। दूसरी प्रमुख बात यह है कि ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I would request the Members to listen carefully without interruptions to whatever the viewpoints.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am listening to him very carefully.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): If you have to say something, address the Chair.

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष जी, ताला खोला गया तथा विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता प्रात:काल 9 बजे वहां पहुंच गए। दो घंटे तक चार लोग प्रतिक्षा करते रहे। उन्होंने आवेदन किया कि हमे दर्शन करने दिए जाएं। इससे पहले निरन्तरता से मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो भी वी.आई.पी. लोग जाते थे ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Nothing of this will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing of this will go on record. I once again request the Members not to interrupt him. ...*(Interruptions)*... Mr. Basu, you address the Chair, but look at them, that creates problem for me. Please sit down.

SHRI NILTOPAL BASU: Sir, ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): My ruling is that the Member who is speaking shall do so without any interruption.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I seek your protection. Will you please tell me what breach of business procedure I had made when you ordered that nothing would go on record? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Basu, please allow me to speak. There is no provision where you can seek clarification from the Chair. Secondly, you are interrupting the Member when he is making his point. Whether you like it or not ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am not addressing the Member. I would like to know from you whether the hon. Member was an eyewitness to the whole situation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Narendra Mohan, kindly continue despite interruptions.

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, it has become a habit with them. They do not allow us to speak. They interrupt and disturb the speaker's mind. It is their habit. If it is controlled, then only he can speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I am confident that Shri Narendra Mohan will not be disturbed.

श्री नरेन्द्र मोहन : भारत सरकार ने पूरी रक्षा की है। भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं यह बता रहा था कि वह तो 9 बजे वहां गये। उन्होंने आवेदन किया कि हमें वहां पर दर्शन करने दिया जाए। इसके पहले भी जब भी अयोध्या में राम लला के दर्शन करने के लिए विशिष्ट अतिथि गये हैं, वी.आइ.पी. गये हैं तो उन्हें ताला खोलकर दर्शन कराए गये हैं और महोदय, अयोध्या में साल में ऐसी घटनाएं 10-12 बार होती हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, he is..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Nothing will go on record ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

SHRI NILOTPAL BASU: It is a point of order...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Under what rule? ...*(Interruptions)*... Spell out under what rule ...*(Interruptions)*... Please specify the rule. Until then, you will sit ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोहन : महोदय, अगर मुझे हर बात पर टोका जाएगा ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I don't want any interruptions ...*(Interruptions)*... I will not allow you to interrupt that Member nor will I allow them to interrupt any of your Members ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: He was defying the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): If I become sensitive like this, then, I will be a mental wreck.

श्री नरेन्द्र मोहन : महोदय, दर्शन करने का अधिकार न्यायपालिका द्वारा दिया गया है और उसी के तहत ताला खोलकर दर्शन कराया जाता है। यह लखनऊ बैंच, इलाहबाद हाई कोर्ट का 1.1.93 का जजमेंट है जो चैलेंज नहीं हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आज भी वैद्य है। मैं उसका वह हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। उसमें आखिर में लिखा है "Thus considering the writ petition, petitions are allowed only to the extent that the opposite parties are commanded by issuance of Writ of Mandamus directing them -- सुनने की बात है, सदन सुन ले -- to allow the petitioner, the Hindus and the devotees of Shri Ramji to have darshan in a meaningful manner at Ram Janmabhoomi -- यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह इलाहबाद हाई कोर्ट के शब्द हैं। -- from such a distance -- डिसटेंस वैरीफाई नहीं है --which may not be disproportionate and too far, with deference to devotees' and pilgrims' view, and the vision from outside for taking note of the security of the idol." **सिक्योरिटी ऑफ दी आइडल को ध्यान में रखते हुए वहां तक जा सकते हैं और कोई भी दर्शन कर सकता है। इसी के तहत वी.आई.पी. जाते रहे। फिर विश्व हिन्दू परिषद के जो लोग गये थे, किसी ने भी गर्भ गृह में प्रवेश नहीं किया। मैं फिर कहता हूं कि किसी ने भी गर्भ गृह में प्रवेश नहीं किया फिर यह बाधा कैसे हो गयी। जहां छतरी गढ़ी हुई है, वहां पर उस क्षेत्र में किसी ने भी प्रवेश नहीं किया। जो पर्दे के अंदर है, वहां प्रवेश नहीं किया, काफी दूर से उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वे लौट आए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ताला खोलने का एक अपराध हुआ है और उसके आदेश नहीं दिये गये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर जांच की है। संबंधित अधिकारियों को ससपैंड कर दिया है कि उन्होंने बिना अनुमति के ...(व्यवधान)... महोदय, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please continue ...*(Interruptions)*... Any observation made by any Member, while interrupting the speaker, unless it is directed to the Chair will not go on record. Please continue ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I know you want to disrupt, Sir. Please don't say that. ...*(Interruptions)*... Please continue, Mr. Narendra Mohan. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष महोदय, देखिए मुझे पांच मिनट भी बोलने नहीं देते हैं। **...(व्यवधान)...** मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। **...(व्यवधान)...** इनकी यह क्या स्थिति है **...(व्यवधान)...** महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्त्ताओं ने किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है। **...(व्यवधान)...** फिर भी उनके खिलाफ दफा-186 में मुकदमा दायर किया गया है। वह नॉन कान्निजिबल ओफेंस हैं। जो माननीय सदस्य विशेष रूप से कानून के ज्ञाता हैं वे इसका अर्थ जानते हैं कि 186 में न्यायपालिका अगर चाहे तो उसे संज्ञान ले सकती है और न चाहें तो नहीं ले सकती है। अगर हमारे मित्रों को आपत्ति है तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए और कहा जाए कि इसको संज्ञान में ले लो। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब कोई घटना ही नहीं हुई और इसके बाद इस तरह के आरोप लगाना **...(व्यवधान)...** दर्शन करना अपराध नहीं है, दर्शन के लिए जाना अपराध नहीं है। दुख इस बात का है कि आज इस बात को लेकर इस तरह के गंदे आरोप लगाए जाते हैं, आश्चर्य होता है। **...(व्यवधान)...** मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात कानून और व्यवस्था से संबंधित विपक्ष की दृष्टि में है तो बताए। कानून और व्यवस्था अयोध्या में कहां भंग हो गई, कैसे भंग हो गई? न तो अदालत की अवमानना हुई, न अदालत का वह निर्णय बताया! निर्णय का वह अंश कोई भी पढ़कर बता दे कि विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं ने निर्णय के कौन से अंश को नहीं माना, जो सर्वोच्च न्यायालय का है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। **...(व्यवधान)...** वह छोटे से अंश में है। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please continue. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं एक निवेदन कर रहा था। वह एक बड़ा सीमित था कि अधिग्रहण के लिए जो कानून बना है वह सही है या नहीं है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। बाकी जो भी प्रबन्ध होना है, प्रबन्धतंत्र की व्यवस्था होनी है, ये सारे के सारे निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कहां तक जाना है, कितनी दूर तक जाना है, यहां तक विस्तार से सारी बातें कही गई हैं। वहां पर किसी भी बात का उल्लंघन नहीं हुआ है। भारत सरकार ने अपना दायित्व पूरी तरह से निभाया है। उस पर राज्य सरकार ने जांच की तो यह पाया कि कार्यकर्त्ताओं से ऐसी कोई बड़ी भूल नहीं हुई। **...(व्यवधान)...** या छोटी भूल नहीं हुई जिसके लिए उनको अपराधी कह दिया जाए। **...(व्यवधान)...** आप अपराध कह रहे हैं। **...(व्यवधान)...** मैं एक बात और कहना चाहता हूं **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Parmarji, please. Yes, Narendra Mohanji, please continue and wind up now.

श्री नरेन्द्र मोहन : मुख्य बात यह है कि आज की तारीख में राम मंदिर में हिन्दुओं को जाने का अधिकार है और हिन्दू जाएंगे। राज्य सरकार वहां पर पूरी कानून और व्यवस्था करेगी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अयोध्या में उस क्षेत्र के लिए लगभग 18 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि केन्द्र ने जो क्षेत्र अधिग्रहित किया है वह 67

एकड़ है। कुछ लोगों ने मुआवजा ले लिया है, जिन्होंने मुआवजा ले लिया है, शेष सारी भूमि जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है, उनकी है। यह भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। यह भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। वह चवालीस एकड़ भूमि है जो राम जन्म भूमि न्यास की भूमि है। वे उसके मालिक हैं। यह बात विपक्ष को समझ लेनी चाहिए कि अगर उस भूमि में राम जन्म भूमि न्यास के लोग जाते हैं तो उससे कोई अपराध नहीं होता। अब एक बात आती है कि विवादित स्थल कौनसा है? कितना बड़ा है? वह कोई बहुत बड़ा भारी स्थल नहीं है जिसको लेकर इतनी सारी बातें कही जा रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि विवादित स्थल एक बहुत छोटा-सा हिस्सा है। शेष जो अधिकृत भूमि है वह अदालत का निर्णय आने तक आपको उन्हीं को सौंपनी होगी जिनकी वह भूमि है। विवादित स्थल संभवत: 40 x 60 फुट का है। पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन माननीय गृह मंत्री जी बता देंगे कि उधर का एरिया कितना है। लेकिन यह कहां का न्याय है कि पूरे चवालीस एकड़ में ये लोग नहीं जा सकते? यह कहां का न्याय है कि हिंदू दर्शन करने नहीं जा सकते? मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जो अतिरिक्त भूमि है, जो जरा-सी भी विवादित नहीं है उसे जिसकी भूमि है उसे सौंप दी जाए। जो चवालीस एकड़ भूमि है, जिसे आप विवादित भूमि कहते हैं उसे लेकर कोई भी मुकदमा किसी न्यायपालिका में लंबित नहीं है। सारी भूमि हिंदुओं की है, वह मुसलमानों की भूमि भी नहीं है। कहीं, किसी प्रकार का प्रतिरोध भी किसी से नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार या केंद्र अपने निर्णय में यह समझते हैं कि अभी समय नहीं आया तो यह केंद्र का अपना अधिकार है। वह इस पर सोचे और जिस रास्ते पर चलना चाहे, चले। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था अयोध्या में भंग नहीं हुई है। वहां कानून और व्यवस्था को किसी प्रकार की कोई क्षति वहां नहीं पहुंची है। डिस्प्यूटिड स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंची और न ही पहुंचाने की चेष्टा की गई। यह कभी नहीं कहा गया कि हम जबर्दस्ती वहां की मूर्तियां उठा लेंगे या उन्हें तोड़ देंगे। कोई भी ऐसा वक्तव्य न तो विश्व हिंदू परिषद् का है और न ही राम जन्म भूमि न्यास का है। ये इस प्रकार का अकारण भ्रम फैला रहे हैं। जिस प्रकार की बातें कही गई हैं वे अपने आप में खेदजनक हैं। सारा स्पष्टीकरण गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दिया है। वह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। इसमें साफ-साफ बात कही गई है कि "Honourable Members who have given notice have said that by 'storming' the disputed site, the VHP have flouted the Supreme Court directives". But they have not proved their point. They have to tell us what, specifically, has been flouted and what portion of the order has been flouted. I challenge them to prove this point.

SHRI NILOTPAL BASU: The Home Minister has to prove it.

SHRI NARENDRA MOHAN: The Home Minister has not to prove it, Nilotpal, you have to prove it. It is you who have said that the directives have been flouted. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Narendra Mohan, please address the Chair.

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Vice-Chairman, Sir, the question of

addressing the Chair also holds good for the Member who is speaking. This is number one. Secondly...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I entirely agree with you; but don't provoke him to address you.

SHRI NILOTPAL BASU: The Home Minister's statement says that a case has been registered. So, what is the offence committed? The Home Minister should explain.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI ADHIK SHIRODKAR): He will. A Member is raising a point, and it is up to the Home Minister to explain or not. It is not for you to take over the mantle of the Home Minister. Mr. Narendra Mohan, please continue and conclude.

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष जी, स्टेटमेंट में बहुत सच बात कह दी गई कि "Maintenance of the *status quo* as on 7th January, 1993 on the disputed site meant that no addition, alteration or other structural changes were carried out in the makeshift structure situated in the disputed area, but normal maintenance work could be carried out". Even normal maintenance work was not done on that particular day. There is absolutely no flouting of any directives. It is a filthy, wild, irresponsible and baseless allegation. Why? What was the need for it? It is they who wanted to take political advantage of the situation. They say that we want Ayodhya to come up; we want to gain political advantage out of Ayodhya. No, we are not for it. It is they who are doing it. They are doing it because they have an eye on the Muslim vote-bank. I am telling you very specifically. यही नहीं, अभी सरला जी ने तो सिमी की वकालत कर दी थी। आप इनसे यह पूछिये। ...**(व्यवधान)**...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : यह बात तो ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**... वे मुस्लिम वोट बैंक और वो हिन्दू वोट बैंक की बात कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... यही हो रहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन : सिमी जो एक प्रतिबंधित संगठन है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please continue, Mr. Narendra Mohan. No interruptions would go on record unless it is directly addressed to the Chair.

श्री दीपांकर मुखर्जी : एक व्यवस्था का प्रश्न है ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष महोदय, 'सिमी' के जनरल सेक्रेटरी का कहना है ...**(व्यवधान)**...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, he is seeking clarifications from us all the time. He has to seek clarifications from the Home Minister and not

from us. What is the clarification he is seeking from the Home Minister? ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I agree with you. Please sit down. Mr. Narendra Mohan, don't look at them. They feel that you are seeking clarifications from them. Please look at me only. ..*(Interruptions)*...

SHRI NARENDRA MOHAN: I am only making a point. They have not been able to point out as to which direction has been flouted. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI ADHIK SHIRODKAR): No interruption would go on record. ..*(Interruptions)*...

SHRI NARENDRA MOHAN: सिमी के बारे में सरला जी ने कहा। सिमी एक संस्था है जो कह रही है, वह मैं पढ़ कर सुनाऊंगा। Ideologies of democracy, secularism and nationalism don't matter to them. SIMI says, it is their duty to demolish these ideologies of democracy, secularism and nationalism. ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): No interruption would go on record. I once again request you. A Member is making his point; whether you accept it or otherwise, he has a right to make his point. Any interruption of this nature is not nice. If you are speaking, you can make your points. If you are not speaking, then the Minister will answer them, but this type of interruptions are giving an impression that you want your view-point to go on record uninterrupted, but not that of the Treasury Benches. This gives a wrong impression. Please don't be guilty of this. ..*(Interruptions)*...

SHRI NARENDRA MOHAN: They are favouring, and advocating for, SIMI, an institution which says that it is its duty to demolish these ideologies and establish a Caliphate, as enjoined upon it by Allah...*(Interruptions)*.... हम खलीफाओं की सरकार चाहते हैं, लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। 'सिमी' का यह कहना है कि हम सेकुलरिज्म नहीं चाहते हैं, राष्ट्रवाद नहीं चाहते हैं। यही नहीं सिमी यह कहती है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। सिमी यह कहती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। ऐसी संस्थाओं की सदन में वकालत होती है। मैं कहता हूं कि यह शर्म की बात है, यह धिक्कार की बात है ...**(व्यवधान)**... यह कहा जाता है, यह आरोप लगाया जाता है ...**(व्यवधान)**...

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA (Jharkhand) : Sir, they are again and again saying Hindu Talibani. ...*(Interruptions)*... I take a very strong objection to this. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): This will not go on record ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*.. No interruption is going on record. So, please do not agitate it. ...*(Interruptions)*... Why are you insisting on interrupting? ...*(Interruptions)*... I request you not to do it. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, you are not asking them to address the Chair...*(Interruptions)*... All the time you are asking us. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): You can always refute any argument which you think is incorrect. ...*(Interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इनकी सीटों को आप जरा दिखवा लीजिए। मुझे लगता है कि वहां कुछ कीलें डलवा दी गयी हैं जिसके कारण इनको बार बार खड़ा होना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप दिखवा लीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Let us take it in a lighter vein.

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभाध्यक्ष जी, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि सुरक्षा का प्रबंध सही नहीं था। पहली बात तो यह कि यह आरोप गलत है कि सुरक्षा का प्रबंध पर्याप्त नहीं था। फिर भी इनकी बात को समझ भी लीजिए तो सुरक्षा का प्रबंध करना राज्य सरकार का दायित्व है और इसे और अधिक कड़ा कर दिया गया है। 15 कंपनियां सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं। 30 लाख यात्री प्रतिवर्ष अयोध्या जाते हैं। उन्हें न्यायपालिका के आदेशों की, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ के हैं, इतनी चिंता है। इसमें यद्यपि लिखा है लेकिन उनको जूते पहनकर दर्शन करने पड़ते हैं। पांच किलोमीटर पैदल धूप में चलना पड़ता है तब जाकर दर्शन कर पाते हैं। लेकिन हम भारतवासी हैं। हमें न्यायपालिका के आदेश प्रिय हैं। इस सरकार को प्रिय हैं। हमारे दल को प्रिय हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि न्यायपालिका के जो निर्देश होंगे हम उनके अनुसार काम करेंगे और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हृदय पर पत्थर रखकर रामलला के दर्शन हम जूते पहनकर करते हैं। हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा जूते पहनकर नहीं की जाती है। लेकिन चूंकि इस बारे में स्पष्टता नहीं आई है अत: मजबूरी में हम यह कर रहे हैं। हम धूप में घंटों खड़े रहते हैं जबकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि छाया का प्रबंध किया जाए। आज तक छाया का प्रबंध नहीं हो सका। ये तमाम कठिनाइयां हैं। हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हम सहिष्णु हैं। हमारी सहिष्णुता का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी सहिष्णुता को अराष्ट्रीयता बताया जा रहा है। हमारी सहिष्णुता को साम्प्रदायिकता बताया जा रहा है। हमारी सहिष्णुता के ऊपर उंगलियां उठायी जा रही हैं। तालिबानी हिंदू कहा जा रहा है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग जो तालिबानों की वकालत करते रहे हैं, ऐसी संस्थाओं की वकालत करते रहे हैं, जो तालिबानों के समर्थक हैं आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। यह चिंता की बात है। यह शर्म की बात है और एक झूठा, मनगढंत आरोप लगाया जा रहा है। इन मनगढंत आरोपों से अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होगा। अयोध्या की समस्या का समाधान न्यायपालिका करेगी या हिन्दू और मुस्लिम

संप्रदाय करेंगे? जो विवादित स्थल है उस पर कोई प्रवेश नहीं कर रहा है, कभी किसी ने कहा भी नहीं है कि हम विवादित स्थल पर जबर्दस्ती चले जायेंगे, उसके बाद भी इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो सत्य है उसको समझें, जो सत्य है उस पर आचरण करें, जो सत्य है वही कहें, क्योंकि यहां जो बातें कही जाती हैं उसका प्रभाव राष्ट्र के मन पर पड़ता है। यहां जो कुछ कहा जा रहा है उसका मकसद अगर वोट बैंक को हथियाना है तो मुस्लिम वोट बैंक उनको मिलने वाला नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सिमी की वकालत करके इस देश को कौन सी दिशा दी गई है? ...(**व्यवधान**)... सिमी की वकालत करना, यह अपने आप में, स्वयं में एक अपराध है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : पोटो ला दो।

श्री नरेन्द्र मोहन : लेकिन वह वकालत हुई। ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, he is making personal allegations ...*(Interruptions)*... He is making personal allegations ...*(Interruptions)*... This is very unfair.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat) : No, no ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please name the person against whom he made the allegation?..*(Interruptions)*... Please, name the person..*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, he is making personal allegations..*(Interruptions)*...Shrimati Sarla Maheshwari mentioned about..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): No. That is your inference..*(Interruptions)*... Please name the person Mr. Narendra Mohan ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: This is very unfair...*(Interruptions)*... This is very unfair...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोहन : सर, मैं कन्क्लूड करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: It is very clear that he is referring to Smt. Sarla Maheshwari's speech..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): No ...*(Interruptions)*...

SHRI T.N. CHATURVEDI: Sir, he was only looking towards that side..*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: No, no. You, at least, should not trivialise the matter. Charging the Members that they are supporters of Taliban ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): No. I do not agree with you..*(Interruptions)*... I do not agree with you. He has not named any person..*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Is patriotism the exclusive prerogative of Mr. Narendra Mohan?..*(Interruptions)*... I am sorry...*(Interruptions)*... It is totally unprecedented in this House..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): It appears..*(Interruptions)*... No. Please sit down..*(Interruptions)*... Please continue, Mr. Narendra Mohan ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: If you allow this kind of a precedent to be created, there will be a problem in the House, I tell you..(Interruptions)...

श्री नरेन्द्र मोहन : इनको समर्थन कहीं भी मिलना चाहिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी :

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please, madam..*(Interruptions)*...Please, I have not allowed it..*(Interruptions)*...

श्रीमती सरला माहेश्वरी :

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Nothing is going on record except Mr. Narendra Mohan's speech, unless it is directly addressed to me. I would not repeat these instructions again ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं वही कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी :

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): This will not go on record..*(Interruptions)*... Please, madam. Please sit down ...*(Interruptions)*... Please continue and conclude, Mr. Narendra Mohan..*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोहन : जो लोग अराष्ट्रीय तत्वों की वकालत करते हैं जिन्होंने 1962 के युद्ध में चीन की वकालत की थी, आज वे इस देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं।

---

* Not recorded.

...(व्यवधान)... चीन की वकालत करने वाले आक्रमणकारियों की वकालत करने वाले, विदेशी आक्रमणकारियों की हिमायत करने वाले लोग ...(व्यवधान)...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (झारखंड) :

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Sir, please ...*(Interruptions)*... Please ...*(Interruptions)*... Please take you seat ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी :

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : यस।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष जी, रिकॉर्ड बुलाया जाए और देखा जाए। नरेन्द्र मोहन जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कोई गद्दारी की बात नहीं कही। उन्होंने गद्दारी की बात नहीं कही। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, रिकॉर्ड मंगाया जाय। उन को अपने अल्फाज़ वापिस लेने के लिए कहा जाय। वे अपने अल्फाज़ वापिस लें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR):: I am adjourning the House for ten minutes.

The House then adjourned for ten minutes.

The House re-assembled at fifty-three minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : माननीय सदन में जिस मुद्दे पर कुछ गहमा-गहमी हुई थी, उसके संदर्भ में अभी कैसेट सुना जा रहा है, जिसमें प्राय: सभी राजनैतिक दलों के नेतागण यहां मौजूद हैं। अत: सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at fifty-four minutes past two of the clock.

The House re-assembled at thirty minutes past three of the clock

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

उपसभापति : अभी जो हाऊस ऐडजार्न हुआ था, जिस बात पर थोड़ा विवाद हुआ था,

---

* Not recorded

उसके लिए मैंने टेपरिकार्डर भी सुना लेकिन उसमें तो कुछ बराबर समझ में नहीं आता है। तो जो रिकार्ड है, उसको देखकर अगर कोई ऐसी बात होगी जो अनपार्लियामेंट्री होती है या गलत होती है, उसको रिकार्ड में से निकाल देंगे।

अब मैं सिर्फ एक आग्रह करुंगी अपने माननीय सदन के बहुत गणमान्य सदस्यों से कि हाऊस में जो भी मामले डिस्कस होते हैं, यह तो जाहिर बात है कि जो इस तरफ वाले बोलेंगे, उसे उस तरफ वाले नहीं मानेंगे और जो उस तरफ वाले बोलेंगे उसे ये नहीं मानेंगे। मीनिंग आफ डेमोक्रेसी यही है कि अलग-अलग राय आएं। अगर आप लोग शांति से एक-दूसरे की बात सुन सकें और बीच में इंटरप्शन न करें तो हमको रिकार्ड भी ठीक समझ आ जाता है और उस पर हम निर्णय भी ले सकते हैं। अगर एक साथ सब बोलने लगते हैं तो किसी की बात भी समझ नहीं आती है।

नरेन्द्र मोहन जी हैं? आपकी स्पीच खत्म हो गई क्या?

श्री नरेन्द्र मोहन : खत्म ही करने की अनुमति चाहता हूं आपसे। ...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय : एक घंटे से बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : वह तो मैं देख लूंगी रिकार्ड से, जो यह सैक्रेटरिएट वाले नोट करते हैं। सवाल यह होता है कि कालिंग अटेंशन ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु : एक घंटे से ऊपर बोले हैं और क्या बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : नीलोत्पल जी, आप एक मिनट चुप रहेंगे, नहीं तो मैं आपको चेयर पर बिठा दूंगी।

ऐसा है कि कालिंग अटेंशन एक घटे का होता है और कालिंग अटेंशन एक घंटे में समाप्त होना चाहिए। चेयरमैन साहब इसको काफी देर से शुरु करके गए हैं और उसके बाद अभी 3:30 बजे तक यह चल रहा है, इसलिए अगर आप अपनी स्पीच को सिर्फ इतना कहकर कि आपका भाषण अब खत्म हो गया, बैठ जाएं तो मैं दूसरे लोगों को बुला सकूंगी। ...(**व्यवधान**)... आप 30 मिनट बोल चुके हैं, इसलिए एक मिनट और बोल लीजिए।

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभापति जी, मैं एक-दो मिनट में ही समाप्त किए देता हूं, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : अभी कृपया कोई झगड़े वाली बात नहीं कीजिए।

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि अयोध्या का मामला बार-बार सदन में न उठाया जाए क्योंकि इससे देश की भलाई नहीं होती, इससे साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बढ़ता और कम से कम हमारा दल तो इस मामले को उठाता ही नहीं। हम एक बात कहना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Madam, this is not fair. What the House will discuss, will he also dictate that? What the House will discuss and what the Chairman will admit, will he also dictate that? Nobody can raise any issue without the permission of the Chair ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोहन : उपसभापति जी, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : एक मिनट। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी : यह नेचुरल नेशनलिज्म है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : एक मिनट। जो प्रणब मुखर्जी साहब ने बात कही, हाऊस में जो भी डिस्कशन होता है वह चेयरमैन साहब की परमिशन और अनुमति के बाद ही होता है। अब, नरेन्द्र मोहन जी, आपकी अगर ऐसी राय है कि नहीं होना चाहिए तो यह बात बजाए हाऊस में कहने के आप चेयरमैन साहब से कहें।

श्री नरेन्द्र मोहन : मेरे कहने का ऐसा आशय नहीं था। मेरा एक निवेदन है, अनुरोध है कि जिस तरह से बार-बार यह मामला यहां हाऊस के अंदर-बाहर उठाया जाता है इससे साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बढ़ता क्योंकि जो बातें हुईं और जिस तरह से सारे मामले को कहा गया ...**(व्यवधान)**... जिस तरह से बातें की गईं और जो आरोप लगाए गए हैं गृह मंत्रालय पर, गृह मंत्री पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, वे नितांत अनुचित थे। आर.एस.एस. की बातें जिस तरह से की गईं, संघ परिवार पर जिस तरह से आरोप लगाए गए, वे नितांत अनुचित थे और इस तरह से कोई देश का साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ नहीं रहा है। हमें वे चेष्टाएं करनी चाहिए जिससे देश का साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़े और हम इसी के पक्षधर हैं। महोदया, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों द्वारा अयोध्या में जाकर दर्शन किए गए, उससे उच्चतम न्यायालय के किसी निर्देश की अवज्ञा नहीं हुई। अच्छा यह होता कि वे उतनी दूर तक न जाते जहां तक वे गए लेकिन उनके वहां तक जाने के बाद भी उच्चतम न्यायालय के किसी निर्देश की अवज्ञा नहीं हुई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में दर्शन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अपने कार्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से किया है ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : मैडम, यह 15 बार कह चुके हैं।

उपसभापति : इन्होंने 2 मिनट मांगे हैं, 2 मिनट का समय होने दीजिए, फिर ये खुद ही बैठ जाएंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन : महोदया, अगर विपक्ष पूरी बात का पता लगा लेता तो जो गलतफहमियां हैं, वे दूर हो जातीं और सदन का समय भी बचता। आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करने की दृष्टि से कार्य किए जाएंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे अकारण सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। धन्यवाद।

उपसभापति : मोहम्मद आजम खान साहब, आप बोलिए। अब जितने भी सदस्य बोलने वाले हैं, मेरा उनसे कहना है कि वे समय का ध्यान रखकर बोलें ताकि आज के दिन यह डिस्कशन खत्म हो जाए। वैसे भी कॉलिंग अटैंशन में सवालात पूछे जाते हैं।

*श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश) : महोदया, वैसे तो आज की बहस सिर्फ 17 अक्टूबर, 2001 की घटना को लेकर होनी थी लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत करीब है और भारतीय जनता पार्टी को यह बात बहुत सूट करती है और इससे बहुत फायदा मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो और जितना उत्तर प्रदेश का माहौल खराब होगा और हिंदू-मुस्लिम झगड़े कराने में भाजपा को कामयाबी मिलेगी, उतना ही वे इसका चुनाव में फ़ायदा उठा सकेंगे।

श्री नरेन्द्र मोहन : मैडम, यह तो आरोप है ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... देखिए, मैंने सबसे कहा था कि आप इन भाषणों को शांति से सुन लीजिए तभी मंत्री जी इसका सही जवाब दे सकेंगे। अगर आप इस तरह से सवाल और जवाब करते रहेंगे तो यह डिस्कशन कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि जब आप बोलेंगे तो उधर से भी सवाल उठेंगे। इसलिए जिसको जो कहना है, जो उसके मन में है, वह कह दे, इसके बाद जो सही और गलत है उसका जवाब तो मंत्री जी को देना है, आप लोगों को तो उसका जवाब देना नहीं है। इसलिए आप सिर्फ अपनी बात कहिए।

प्रो. राम बक्ष सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इन्होंने एक आरोप लगाया है कि इससे सांप्रदायिक दंगा कराने में आसानी होगी।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : नहीं, इन्होंने कहा कि जितना ही सांप्रदायिक दंगा कराएंगे, उतना ही बी.जे.पी. को लाभ होगा। ये तो बहुत जबरदस्त आरोप लगा रहे हैं जैसे कि हमारा कोई वैस्टेड इंट्रस्ट है सांप्रदायिक दंगे कराने में जब कि भाजपा की सरकारों के समय में दंगे हुए नहीं हैं ...(**व्यवधान**)...

*श्री मोहम्मद आज़म खान : मैडम, आज की बहस कानून के मामले को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर है और कानून में आस्था रखने वाले लोग आज यह फैसला चाहते हैं इस सदन से और देश की जनता से भी कि यह देश कानून से चलेगा या भाजपा के एजेंडा से चलेगा।

माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान के पहले पैराग्राफ में यह कहा है कि वे अयोध्या के मामले को बातचीत से हल करेंगे। महोदया, बड़ा अफसोस होता है जब गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी बात कहें जिसकी कानून में कोई गुंजाइश न हो। आज के दिन भी जब हम यहां बैठे हैं तो प्रो. हाशिम किदवई की गवाही उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि के रिकॉर्ड को लेकर चल रही है । †

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On what?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : It is on the basis of the first paragraph of the Government Statement. It says:

---

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

† Expunged as ordered by the Chair.

"This Government is of the view that the problem in Ayodhya can be solved either through mutual consensus amongst the parties concerned or on the basis of the adjudication by the court."

He is misleading the House...*(Interruptions)*... Please have patience.Listen to me. He should not mislead the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think everybody is in possession of this statement both in English and Hindi.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Then, why is he misleading the House?

*श्री मोहम्मद आज़म खान : उपसभापति महोदया, मैं चाहूंगा कि सदन को बहुत सी ऐसी कानूनी बातें जिसका किसी को इलम न हो आज हो जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस मुकदमे में पूरा देश पार्टी है। अगर कहीं किसी स्टेज पर सरकार इसमें कोई समझौते की बात करके कोर्ट में समझौता दाखिल कर देगी तब भी समझौता इसलिए नहीं हो सकता कि अगर एक देशवासी भी दरख्वास्त लगा देगा तो केस रि-ओपन हो जाएगा। चुनांचे यह बातें ज़हन से निकल जानी चाहिए कि सारे जिम्मेदार चाहे इस मुकदमे में फरीक हों चाहे हाशिम अंसारी हों, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो, भूरे दर्सेज गवर्नमेंट आफ इंडिया हो या गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश हो, कोई भी पार्टी अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इस मसले पर किसी तरह की बातचीत हो। क्योंकि बातें पहले भी कई बार हुई हैं और जब एक फरीक बराबर यह कह रहा है जो कि विक्टिम है जिसकी मस्जिद टूटी है, उसने 5 दिसम्बर,1992 के पहले भी कहा और 7 दिसम्बर, 1992 के बाद में भी यही कहा कि कानून का फैसला सब को मानना चाहिए और अगर यही पहले मान लिया गया होता ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is referring to the breaking of the mosque.

SHRI T.N. CHATURVEDI: He has referred to the evidence ..*(interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Which statement you are referring to?

*श्री मोहम्मद आज़म खान : पहला पैराग्राफ गृहमंत्री जी का अयोध्या के डिस्पुट को बातचीत से हल करने के बारे में है। मैं बिल्कुल एक लफ्ज भी आज आगे-पीछे नहीं जाना चाह रहा हूं। शायद हमारे दोस्त यह चाह रहे हैं कि माहौल गरम हो, बहस हो, एडजोर्नमेंट हो, अखबारों में खबरें छपे और बाहर का माहौल गरम हो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहती है। जाहिर है कि 17 अक्तूबर को जिस तरह से ...(व्यवधान)...

उपसभापति : आज़म साहब, आपने उस एविडेंस का रिफ्रेंस दिया है मगर एविडेंस के बारे में तो कुछ नहीं कहा है कि उन्होंने क्या एविडेंस दिया है।

---

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

*श्री मोहम्मद आज़म खान : नहीं-नहीं, मेरा वह अधिकार भी नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री टी.एन. चतुर्वेदी : नमाज पढ़ते थे दो दफे, तीन दफे, वह आज एविडेंस में नहीं है। इसी वजह से बोला वरना ...(व्यवधान)... ...*(interruptions)*... The general case is before the court. But the evidence referred today...*(interruptions)*...

*श्री मोहम्मद आज़म खान : चूंकि यह बयान आज अदालत में हुआ है, यह तो रिकार्ड होता है, लिखा जाता है वहां। लिहाजा इसमें क्या बात है। अदालत का बयान पब्लिकली होता है जो रिकार्ड किया जाता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: If we take that stand, then, we cannot discuss the Ayodhya issue. This matter is pending before the court since a long time. Permission has been given by the Chair to take up the issue for discussion in the House. If he refers to the fact that somebody had prayed in that mosque, then, that is a statement of fact. If he is referring to his statement..*(Interruptions)*...

SHRI T. N. CHATURVEDI: Today, on that particular case, the evidence has been tendered. This is what I was saying. Otherwise, ...*(interruptions)*...

*श्री मोहम्मद आज़म खान : उपसभापति महोदया, मुझे कष्ट होगा अगर आज वह कुछ ऐसी बातें जो तारीख वाइज मैं कहने वाला हूं सदन को अगर नहीं मालूम हो सके। 6 दिसम्बर, 1992 को देश के ...(व्यवधान)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL AND MINES (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam, I am on a point of order. I will take only one minute. He has got every right to say whatever he feels. But under the rules, if some matter is *sub judice*, he cannot refer to that matter. But he has quoted an evidence which has been tendered today before the Lucknow Bench. That is clearly a *sub judice* matter. That should not be there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me get it clarified. You were not present in Lucknow. So, you are not referring to the exact words that he used. You were in Delhi. You are only referring to.... आप सिर्फ उस चीज़ के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि आज वहां किसी ने ऐवीडेंस दिया है।

---

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

श्री मोहम्मद आज़म खान : प्रोफेसर हाशिम किदवई ने।

उपसभापति : वहां तक ठीक है। उसके आगे नहीं जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : ऐवीडेंस में जो कहा, वह तो डिलीट होना चाहिए। वह भी रिकॉर्ड में आ गया है।

उपसभापति : ठीक है, मैं रिकॉर्ड देख लूंगी।

***श्री मोहम्मद आज़म खान** : मैडम, अगर ये लोग मुझे नहीं सुनना चाहते हैं तो ऐसा आदेश आप कर दें कि आप नहीं सुनना चाहते हैं।

उपसभापति : ठीक है, आप बोलिए। अभी अगर थोड़ा डिसटर्बेंस कम हो तो अच्छा रहेगा।

***श्री मोहम्मद आज़म खान** : महोदया, 15 दिसम्बर 1992 को भारत की संसद ने 6 दिसम्बर, 1992 के डेमोलीशन के संबंध में एक निन्दा प्रस्ताव पारित किया था और 7 जनवरी, 1993 को एक ऑर्डीनेंस जारी हुआ था। उस ऑर्डीनेंस में 67 एकड़ जमीन जो कि बाबरी मस्जिद के चारों तरफ से घिरी हुई है, इस 67 एकड़ जमीन को ऐक्वायर कर लिया गया था। फिर 24 अक्तूबर, 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था और यह कहा था कि बाबरी मस्जिद और उसके बाहर की यह सारी जमीन जो ऐक्वायर की गयी है, इस पर किसी का कब्जा नहीं होगा। सरकार इसकी रिसीवर होगी, सारे मालिकाना हकूक केन्द्र सरकार के पास होंगे और जब कोई पक्ष इसमें मुकदमा जीत जाएगा तो इस जमीन का वह हिस्सा जो मस्जिद या मंदिर के काम आने वाला हो, मसलन सड़क वगैरह निकालने के लिए, वह जमीन उसको दे दी जाएगी और बाकी जमीन का इस्तेमाल जिस तरह से भी केन्द्र सरकार चाहे, कर सकती है। लेकिन जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होता, उस वक्त तक इस 67 एकड़ जमीन पर किसी को इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसी के साथ मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूजा दर्शन की जो इजाजत दी गयी थी, वह 25 मीटर की दूरी के फासले के लिए दी गयी थी।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : कहीं नहीं लिखा है। He is misleading the House.

उपसभापति : मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे।

***श्री मोहम्मद आज़म खान** : इसलिए 23 फरवरी, 1996 को एक दरख्वास्त हाई कोर्ट बैंच, लखनऊ में लगी कि फासला ज्यादा है, इसे कम कर दिया जाए। दरख्वास्त यह लगी कि दर्शन करने के लिए ज्यादा लोग आते हैं, उनके ठहरने का इंतजाम कर दिया जाए। दरख्वास्त यह लगी कि यहां मिठाई की दुकानें हों, दरख्वास्त यह लगी कि यहां फूल बेचने की दुकानें हों, दरख्वास्त यह लगी कि यहां टॉयलेट्स बनाए जाएं, दरख्वास्त यह लगी कि यहां जूते रखने की जगह बनाई जाए। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट बैंच ने, लखनऊ बैंच ने इस बात की इजाजत दे दी

---

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

लेकिन अगस्त 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रोक दिया और यह कहा कि जो आदेश पहले का था, वही लागू रहेगा और 25 मीटर के फासले से दर्शन होंगे और इस पर भी और जोर दिया कि जो वहां पर पुजारी मौजूद हैं, उसके अलावा कोई व्यक्ति अंदर नहीं होगा और कोई पूजा के लिए अंदर नहीं जाएगा। शुरू में यह भी निर्देशित किया गया था, उस पर आज भी अमल है कि पूजा करने वाला पुजारी गैर सरकारी नहीं होगा बल्कि तनख्वाह पाने वाला सरकार का व्यक्ति होगा ताकि किसी हद तक अदालत के फैसले में निष्पक्षता दिखाई जा सके लेकिन यह विडम्बना है कि टैररिज्म को उसका असली रूप देने वाले लोग, टैररिज्म की निन्दा करने वाले लोग, दुनिया भर में इमारतों के गिरने की निन्दा करने वाले लोग यह भूल गये कि इस मुल्क में भी एक इमारत गिरी थी जो इमारत नहीं थी बल्कि इबादतगाह भी थी। अगर उस इबादतगाह के गिरने पर उसे टैररिस्ट ऐक्टीविटी मान लिया गया होता, अगर उसे गिराने वालों को टैररिस्ट मान लिया गया होता और पोटो का कानून बनाते वक्त 17 अक्तूबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के परिसर में घुसने वालों को भी यह समझा गया होता कि यह मुल्क के अमन-ओ-अमान को बिगाड़ने वाले लोग हैं। शायद बात बिगड़ने की बजाए बनने की तरफ चली गई होती। 17 अक्तूबर को इस परिसर में दाखिल होने वाले लोगों के लिए, जैसे कहा गया कि ताले खुलवाए गए, कौन से वे हालात रहे होंगे। उस समय सी.आर.पी.एफ. का कमांडेंट मौजूद है, ए.डी.एम. मौजूद है, सर्किल आफिसर मौजूद है, डीएम आ जाते हैं और कमिश्नर आ जाते हैं, उनकी मौजूदगी में ताला खुलता है। लोग अंदर दाखिल होते हैं और यहां तक होता है कि डीएम और कमिश्नर ने पत्रकारों से यह कहा कि बहुत खुशामद करने के बाद हम इन लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुए। तरीमहा सिंह डिप्टी कमांडेंट 76वीं वाहिनी, आर.पी.एफ. ने एस.पी. को दरख्वास्त दी, ए.डी.एम. और सी.ओ. को उसमें गवाह बनाते हुए कहा कि ये लोग अंदर दाखिल हुए और इन्होंने धक्का-मुक्का की, ये एफआई.आर. के शब्द हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सी.आर.पी.सी. की दफा - 186 में मुकदमा दायर हुआ है। ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हैं, जिसके तहत कोई जुर्म नहीं बनता है। एक हादसा 6 दिसम्बर, 1992 को हुआ, जिसकी धमक पूरी दुनिया ने सुनी। इसके बाद यह दूसरा हादसा है। इसीलिए मैंने कहा कि यह मालूम होना चाहिए कि देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानेगा या नहीं मानेगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानेगी या नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा। एकता परिषद् में रिजोल्यूशन था कि मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का हलफनामा था कि मस्जिद की हिफाजत की जाएगी लेकिन उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा दी गईं। 6 दिसम्बर, 1992 के बाद 17 अक्तूबर,2001 को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया गया। मुझे याद है और महोदया, आज मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वैंकट चलैया जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को एक दिन की सजा दी थी तो सजा से यह साबित हुआ था कि जुर्म हुआ था और फैसला दिया था। मैं यह मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत पहले कह दिया कि यह बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटिड प्लेस नहीं होगा, बल्कि यह फैसला दिया, It was proved that those who demolished the Babri Mosque were not Hindus. They were merely miscreants. इसीलिए हमारी कानून में आस्था है और पहले दिन से ही हम यह कहते चले आ रहे हैं कि अदालत के फैसले को मानना चाहिए और जो लोग अदालत के फैसले के लिए दिल्ली में इलैक्ट्रोनिक मीडिया और प्रैस मीडिया को बुलाकर कहते हैं कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे। मैंने गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसका एकनॉलेजमेंट भी मुझे नहीं मिला। उस

प्रैस कांफ्रैंस के बाद मैंने यह जानना चाहा था कि दिल्ली का कोई पुलिस स्टेशन ऐसा होगा जिसने इस खबर का नोटिस लिया हो, और ऐसा कहने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हो? क्योंकि कानून का एहतराम आपके सामने है, 17 अक्तूबर को अशोक सिंघल साहब, उत्तर प्रदेश के डी.जी.पी. रह चुके साहब, दीक्षित साहब और एक शर्मा साहब थे जो खुली तलवार लेकर निकले थे, करीब तीस-चालीस लोग थे। एक दरख्वास्त दी गई कि एक जिम्मेदार अधिकारी एस.पी. को कि धक्का-मुक्की की गई और बल प्रयोग किया गया। ये सारी दफा वे हैं जो किसी सरकारी अफसर या सरकारी मुलाजिम के साथ करे तो कम से कम दफा 332 जरूर लगेगी। लेकिन इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया गया जैसे 6 दिसम्बर, 1992 को उड़ाया गया था। इसके बावजूद 186 आई.पी.सी. के तहत मुकदमा कायम करना उत्तर प्रदेश सरकार और उनके नेताओं की नीयत को दर्शाता है। सिर्फ इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार यह नहीं कह सकती कि उसे मालूम नहीं था बल्कि यह भी विडम्बना है, इस सदन को मालूम होना चाहिए कि 17 अक्तूबर, 2001 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री फैजाबाद में मौजूद थे, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमें यह समझने में मदद मिलनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री खुद फैजाबाद में हों और उससे सिर्फ सात किलोमीटर के फासले पर बसी हुई छोटी सी यह अयोध्या नगरी के एक परिसर के बारे में कहा जाता है उसमें 42 बटालियन फोर्सेज हैं। सी.आर.पी.एफ. है, आर.पी.एफ है., पी.ए.सी है और पुलिस भी है। उससे कम भी हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी तादात में फौज होने के बावजूद अगर वह बीस-पच्चीस लोगों को रोकने में अक्षम है तो फिर कारगिल की पहाड़ियों की हिफाजत न कर सकना और इसकी इत्तिला एक गड़रिए से मिलना, इस पर भी भरोसा करना चाहिए। केंद्र सरकार कस्टोडियन है और एक कमिश्नर उसमें रिसीवर एपोइंटिड है। सदन के समक्ष यह बात रखना जरूरी है कि कमिश्नर उत्तर प्रदेश सरकार का या किसी भी प्रदेश सरकार का मातहत होता है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वह उस परिसर और उस परिसर में होने वाले मामलात की हिफाजत कर सके। लिहाजा संविधान की दफा 144 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें देश की हर एजेंसी की यह जिम्मेदारी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम कराए, आपके माध्यम से हम, इस देश के कमजोर लोग, इस देश के वे लोग जिन्हें इस सदन और इस सदन के बाहर उन हालात में ले जाकर खड़ा कर दिया गया है जहां उन्हें अपनी शहरियत पर, अपनी वतनियत पर, अपनी वफादारी पर खुद अपने आपसे सवाल करने के बहुत से मौके मिलने लगे हैं, जो आज यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस मुल्क में रहने वाली एक आबादी ऐसी भी है जो खुले आम उनकी वतनियत पर और उनकी वतनपरस्ती पर शुबह करती है। यह मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान की 1/5 आबादी के दिल में यह मायूसी होना, हिंदुस्तान के जिस्म का 1/5 हिस्से का अपाहिज होना है। हिन्दुस्तान में रहने वाली वे अक़लियतें जिन्हें यह अहसास दिलाया जा रहा है कि वे देश के वफादार नहीं हैं, उन्हें यहां की हवाओं से, यहां की गर्मी और नर्मी से कोई लेना-देना नहीं है। वे लोग जो यह माहौल बना रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर मुझसे यह कहे कि मेरे जिस्म का पांचवां हिस्सा अपाहिज होने के बावजूद भी मेरा जिस्म सेहतमंद है तो मैं उस डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कुछ और समझूंगा। अगर इस मुल्क की आबादी का 1/5 वां हिस्सा बीमार समझ लिया गया और उसे इस देश का हिस्सा नहीं समझा गया तो यह देश के जिस्म का बड़ा नुकसान है। इस देश के जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जिस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके लिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बजाय इसके कि

4.00 P.M.

कमिश्नर ऑथोराइज परसन हो, सदन की एक कमेटी बने। हमें आज भी इस सदन पर विश्वास है। उन्हें, जिनकी मस्जिद गिरी है आज भी अदालत के फैसले पर पूरा भरोसा है और वे लोग यह कहना चाहते हैं कि यह इमारत, जो 1992 में गिरी थी यह इबादतगाह भी थी और इसके बाद बहुत लोग मारे गए थे, इसके बाद बहुत जुल्म हुआ था और उस वक्त से लेकर आज तक लोग यह चाहते हैं कि चुनाव सिर्फ इसी मुद्दे पर हो। लोग यह चाहते हैं कि सरकारें इसी मुद्दे पर बनें। पांच साल की बजाय साढ़े पांच बरस तक उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी सरकार चली। साढ़े पांच बरस तक रामचंद्र जी का मंदिर किसी को याद नहीं आया, रामलला के दर्शन किसी को याद नहीं आए लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ डेढ़ महीना रह गया है तो चुनाव को सामने रखकर महज यह कोशिश करके कि उत्तर प्रदेश में हिंदू-मुसलमान आमने-सामने खड़े होकर फरीक बन जाएं, दंगे शुरू हो जाएं, फसादात हों। इसलिए महोदया, आपके माध्यम से यह कहना हमारी जिम्मेदारी है कि जिन्हें साढ़े पांच साल तक रामलला याद नहीं आए, राम मंदिर की तामीर याद नहीं आई उन्होंने 14 फरवरी, 2002 से मंदिर की तामीर का ऐलान कर दिया। यह ऐलान चार साल पहले नहीं हुआ, तीन साल पहले नहीं हुआ, दो साल पहले नहीं हुआ, छह महीने पहले भी नहीं हुआ, चुनाव से सिर्फ दो महीने पहले हुआ है। लिहाजा हम चाहते हैं कि सदन की एक कमेटी बने और माननीय सदस्य अयोध्या के परिसर के ऑथोराइज परसन हों, इस उम्मीद के साथ कि अयोध्या के इस मामले को कानून का मामला समझा जाएगा। हमने पहले भी कहा था कि खुद बाबरी मस्जिद का मामला एक मस्जिद के नाते मजहब का मामला जरूर है लेकिन उससे पहले यह कानून का मामला है क्योंकि 22/23 दिसम्बर, 1949 की रात को अयोध्या के थाने में जो रपट लिखी गई थी वह रपट आज भी मौजूद है और उस रपट में उत्तर प्रदेश की सरकार फरीक है। वह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में उसने यह कहा है कि उसकी रपट है, उसका हलफनामा है, कुछ शरपसंदों ने सीढ़ी लगा कर मस्जिद के अन्दर दाखला ले कर मूर्ति स्थापना कर दी और मस्जिद को नापाक कर दिया। यह रपट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिखवाई हुई रपट है जिस का आज भी मुकदमा चल रहा है जिसकी वजह से हिन्दुस्तान आज तक मोहब्बत के रास्तों पर नहीं चल सका और कैसे चल सकता है मोहब्बत के रास्तों पर? पूरी दुनिया में एक इमारत है हिन्दुस्तान में ताजमहल, उसे भी तोड़ देना चाहते हैं ताकि मोहब्बत की कोई निशानी हिन्दुस्तान में न रहे और सिर्फ गुलामी के सारे निशान रहें। लेकिन मैंने कम से कम यह कहा जब हमारे विश्व हिन्दू परिषद् के लोग या बजरंग दल के लोग ताजमहल तोड़ने के लिए चलेंगे, मैं भी उनके साथ चलूंगा, मैं भी गिराऊंगा ताकि मोहब्बत की यह निशानी जो आप मिटाना चाहते हैं उसमें हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए क्योंकि आप उसे गुलामी की निशानी कहते हैं। मोहब्बत की निशानी को भी गुलामी की निशानी कहने वालों से मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कुदरत की तरफ से आपको सद्बुद्धि मिले और बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि के मामले को चुनाव का मामला न बना कर कानून का मुद्दा ही समझें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तज़ार करें और जिसके हक में फैसला हो जाए राम मन्दिर के हक में हो जाए तो भव्य मन्दिर बने और बाबरी मस्जिद के हक में फैसला हो तो बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर हो। लेकिन इसके लिए ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : अगर तीसरे के हक में फैसला हो जाए, जो क्लेमेंट नहीं है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : अब आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आज़म खान : मैं वह कह रहा हूं जो मुकदमा अदालत में है। इसलिए सब

से ज्यादा अफज़ालियत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है और उसका एहतराम सभी को करना चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shri R.S.Gavai. He is not here.

श्री गया सिंह (बिहार) : माननीया उपसभापति महोदया, अभी हम लोग तीन चार घंटे से अयोध्या की बात कर रहे हैं और इस हाऊस में तमाम माननीय सदस्यों ने काफी बातें रख दी हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका जो स्टेटमेंट है उसको अगर तीसरी क्लास का बच्चा पढ़े तो उसको बहुत आश्चर्य होगा। 186 दफा लगाया और वह लगाने के लिए उसमें घुसने वाले वहां जो अधिकारी मौजूद थे उनको आपने सस्पेंड कर दिया, उन अधिकारियों ने क्या जुर्म किया जिनको आपने सस्पेंड कर दिया और जिसने अपराध किया उस पर 186 दफा लगाया, यह आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है, यह आपके स्टेटमेंट में है। इसलिए मैं सिर्फ एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। आपसे यह विश्वास लेना चाहता हूं हाऊस में जितनी बातें यहां उठी हैं क्या आप अभी भी हाऊस को गारंटी दे सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा नेगोसियेशन चल रहा है, कहां नेगोसियेशन चल रहा है, मालूम नहीं है, आप तो नेगोसियेशंस में मेन पार्टनर हैं क्योंकि आप पर मुकदमा हुआ, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि आप होम मिनिस्टर भी हैं और सी.बी.आई. के इंचार्ज भी हैं, इस देश में कानून आप कैसे चला सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ और आपको इतने दिनों तक फुर्सत नहीं रही, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, कम से कम आप नोटिफिकेशन करवाइये ताकि देश में लोग समझें कि आप कानून व्यवस्था को ठीक कर सकेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी तामील करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज देश में बेरोजगारी का सवाल है लेकिन इस सरकार को फुर्सत नहीं है। लोग कहते हैं बार बार अयोध्या काहे को ला रहे हैं। उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया न्यायालय में मामला है तो आप इन लोगों को बार बार क्यों वहां पहुंचा रहे हैं, आप उनको रोकिये क्योंकि उस समय भी आप वहां मौजूद थे, उस समय आपकी बात उन्होंने नहीं मानी। लेकिन अभी तो लोग मानेंगे क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में हैं और यहां केन्द्र में भी हैं। आज भी अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर ऐसे लोगों के साथ आप क्यों हैं? आजादी के बाद जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, जिस ने हत्या की मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, सारे लोग जानते हैं वह हत्यारा संगठन कौन था। आप माफ करेंगे, आप कहते हैं कि सेल्फलेस सेक्रीफाइस करने वाला वह संगठन आपके साथ है, अगर वह आपकी बात नहीं मानता तो कितना सेक्रीफाइस करने वाला वह संगठन है। इसलिए मैं और ज्यादा भाषण नहीं देकर सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं मैडम कि आप पटेल बन जाइए, उससे भी ऊंचे बन जाइए, काश्मीर तो सात्व नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इस देश में हर राज्य में काश्मीर मत बना दीजिए क्योंकि जिस तरह की परिपाटी चला रहे हैं, जिस तरह से खोद रहे हैं लोगों को - इन्होंने ठीक कहा कि आज अगर इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाइयों की एकता को बना नहीं सकते हैं, देश के सौ करोड़ में इतने ज्यादा बेरोजगार हैं, आपकी नाक के नीचे बुद्धिस्ट हो रहे हैं लोग और हिंदुओं को बचाने चले हैं। क्यों वे बुद्धिस्ट हो रहे थे? क्या जबर्दस्ती दलित लोगों को बना दिया? आज पूरे देश में इस ढंग का भ्रष्टाचार है, लोगों में अविश्वास है, हिंदू, हिंदू में मारपीट है, दंगे फसाद हो रहे हैं। आपका संगठन आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर अयोध्या में फरवरी या मार्च में आपके लोगों ने

घुसने की कोशिश की, चुनाव तो आप हारेंगे ऐसे भी क्योंकि अब कोई उम्मीद मत रखिए, लोग होशियार हो गए हैं लेकिन उसके बाद देश के इतिहास में आप लोगों का कैसा इतिहास बनेगा यह आने वाला भविष्य बताएगा। इसलिए इतना ही विश्वास चाहता हूं कि आप 15-15 की टोली अंदर मत भेजिए। आप रोक दीजिए कि कोई अंदर न जाए, उस एरिया में न जाए। आप ऐसे मत समझिए कि वही जमाना है। 1992 दुबारा चल जाएगा। नहीं चलने वाला है। मस्जिद-वस्जिद नहीं है। टूट गयी है। सुप्रीम कोर्ट की आप बात नहीं मानिएगा तो राज चलाना मुश्किल होगा। इसलिए यही कहकर उपसभापति महोदया मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, होम मिनिस्टर पटेल बन जाएं, कुछ और बन जाएं लेकिन जरा भरोसा तो दीजिए कि अयोध्या में चुनाव के पहले कोई नहीं घुसेगा। आप नेगोशिएंशंस की बात बताइए। कहां छिपा हुआ है? हम लोग भी उस बात को जानना चाहते हैं। धन्यवाद।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक)** *पीठासीन हुए*]

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया है मैं उसे एक औपचारिक बयान समझता हूं और गुमराह करने वाला तो नहीं कहूंगा लेकिन बहलाने वाला बयान जरूर कहूंगा, कि माननीय गृह मंत्री जी ने इस बयान से सदन को बहलाने का काम जरूर किया है। यह जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा विवादित स्थल पर प्रवेश का मामला आज सदन में आया है इसमें जिन लोगों ने वहां जो सुरक्षा अधिकारी थे या कर्मचारी थे उनके साथ धक्का-मुक्की की और जबरन प्रवेश किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, अवमानना की। यह जवाबदेही केंद्र सरकार की थी जैसे कि एक प्रश्न के जवाब में कहा गया, आज ही एक प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 46, उसके जवाब में कहा गया कि केंद्र सरकार को विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गयी है। तो केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी थी और इस तरह की जो घटना हुई। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, भले ही नानकाग्नीजिबुल आफेंस का मुकदमा क्यों नहीं हो मगर घटना वही है कि मुकदमा दर्ज किया गया है। दो को सस्पेंड भी किया गया है। अभी गया सिंह जी कह रहे थे कि सस्पेंड क्यों किया। मुझे भी लगता है कि जिन्होंने घटना की, जिन्होंने कानून तोड़ा, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश को तोड़ा उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। जो कार्यवाही हो रही है वह एक आई वाश है। सिर्फ दिखाने के लिए कार्यवाही हो रही है। महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इस पर्दे के पीछे केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है और इसके आगे चुनाव का समय देखा जाए। मार्च में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और सभी समाचारपत्रों से यह सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। जनता के बीच उनका विश्वास खत्म हो चुका है। इसलिए कोई ऐसा रास्ता उत्तर प्रदेश की सरकार अख्तियार करना चाहती है और केंद्र सरकार भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई ऐसा शार्ट कट अपनाना चाहती है, एक भावना भड़काना चाहती है कि जिस भावना का सहारा लेकर केंद्रीय सरकार में पहुंचे हैं, उसी तरह वे उत्तर प्रदेश की सरकार में पहुंच जाएं। नहीं तो समय का चुनाव, अभी ठीक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी उस दिन फैजाबाद में थे, मैं नहीं जानता कि यह मात्र एक संयोग है या पहले से ही कोई सोची हुई बात थी, परन्तु मुख्य मंत्री जी फैजाबाद में थे और उस समय यह घटना हुई है। ताजमहल की घटना के बारे मे हमारे साथियों ने चर्चा की है। इसका जो एक सिलसिला बन रहा है वह इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि कोई एक दूसरा समुदाय रिएक्ट करे और

रिएक्शन में एक ध्रुवीकरण बनाया जाए। ये फिर से जो इनका हिन्दू कॉर्ड है वह खेल रहे हैं। यह बहुत खतरनाक खेल है। हम पहले भुगत चुके हैं। 6 दिसंबर के बाद देश में जो घटना हुई और हजारों की संख्या में लोग मारे गए, पूरे देश में उस खेल को ये फिर से खेलना चाहते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक खेल है। गृह मंत्री जी, गया सिंह जी ठीक कह रहे थे कि अगर आपको पटेल बनना है तो आपको पार्टी से ऊपर उठना पड़ेगा और पार्टी से ऊपर उठ करके ही आप देश का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। देश को हिन्दू-मुस्लिम धर्म के आधार पर बांट करके, मजहब के आधार पर बांट करके अगर आप राजनीति करना चाहेंगे या उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहेंगे तो यह देश और समाज के लिए, किसी भी स्तर पर अच्छा नहीं होगा। उससे देश और समाज बंटेगा। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपराध किया है उन्हें मैं अपराधी मानता हूं क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। यथास्थिति बनाये रखने की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है। इसलिए आप एक निष्पक्ष जांच कराइये और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से जांच कराइये। वह जो एक आई वाश आपने किया है, नॉन कॉग्नीज़ेबल मुकदमा दायर किया है, उस मुकदमे से उन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उनका मनोबल ही आप बढ़ा रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में आप जो खेल खेल रहे हैं उस खेल को आप बंद कीजिए।

मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि गृह मंत्री जी, आप इस कुर्सी पर बैठ करके उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे जो कि अपराधी हैं, चाहे वे संघ परिवार के लोग हों, चाहे उनकी पार्टी के लोग हों। क्योंकि वे त्रिशूल बांटते हैं, अपने लोगों को हथियारबंद कर रहे हैं पता नहीं किसके खिलाफ वे लड़ाई लड़ेंगे? अगर बहुत बहादुर हैं तो काश्मीर में लड़ाई लड़ने के लिए चले जाएं और जा करके आतंकवादियों से लड़ें। लेकिन यहां त्रिशूल बांट करके किसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ या समाज में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? ऐसा खेल मत खेलिए। यह बहुत ही खतरनाक खेल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें और भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो तथा आपस का जो सौहार्द है, वह बराबर बना रहे। हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई विभिन्न धर्मों का यह जो देश है और सभी लोग इस देश को अपना समझते हैं तथा अमन-चैन से रहना चाहते हैं, उनको आप अमन-चैन से रहने दीजिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI H. K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, this Calling-Attention was taken up to draw the attention of the hon. Home Minister to the issue of storming of the disputed site at Ayodhya by VHP and the flouting by them of the Supreme Court directives. After reading the statement made by the hon. Home Minister, I feel that the Home Minister has tried to mislead the House. No Member asked the Home Minister about the policy of the present Government -- whether you are going to

settle the dispute by negotiations or by court verdict. It is a matter which involves the flouting of Supreme Court's directives and that is all. I feel the first paragraph in no way gives the facts of the case. The second para is very important. One of the Members said that the VHP people went there to have *darshan*. But according to the facts of the case that have been reported, it is not so. They had gone there with a purpose to create disturbance and to prevent the officers from discharging their duties. They went there to create problems. That is the reality. The statement of the Home Minister has been very carefully drafted, particularly pertaining to the reference to section 186 of IPC. What does section 186 say? It says that it is a non-cognizable offence. But I feel it should have been section 353. Section 353 of IPC on 'assault or use of criminal force to deter public servant from discharging of his duties' says, "Whoever assaults or uses *criminal force against any person being a public servant in the exhibition of* his duty as such public servant or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duties as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to two years or fine or both". What I would like to submit to the hon. Home Minister is this. You have mentioned section 186 in your statement. The expression you have used in this paragraph is, "S/Shri Ashok Singhal, S.C. Dixit along with some 20 other persons who had come through the gangway to have darshan made their way through the bars of the gangway and entered the isolation cordon where devotees are normally not allowed". That means it is a restricted area and that no one is authorised to enter that particular place. Here, they prevented the officials from discharging their official duty and they violated the law and created a bad atmosphere. You have further stated that that being the case, it was not wrong. If the case was that the devotees had gone there, had *darshan* and chanted hymns, then what made your Government or the Uttar Pradesh Government to suspend the SP and the District Magistrate? What was the offence that they had committed? While making the statement or while making allegations against officers, you must bear in mind that they were discharging their constitutional responsibility where the law had been violated and the VHP people had stormed the place. The time hasn't lapsed even today. We must amend it; section 353 is to be applied in the chargesheet. The second point is about para 3 where you say, "Hon. Members who have given notice have said that by 'storming' the disputed

site, the VHP have flouted the Supreme Court directives". According to your statement, the VHP members have not at all violated the directives of the Supreme Court. You have stated that the Supreme Court has not at all mentioned it in their order and that no one has entered, no one has gone there, or, that the Supreme Court has allowed all the Members who have faith in that particular *mandir* to have *darshan*. But, in this particular case, I would like to ask the hon. Home Minister that if it was so, what made the Police or the other agency book a case under section 186. According to your statement no offence has been committed by the VHP members. I feel it is a misleading statement. Now, many Members have mentioned about it. I am not going to attribute any political motives. They have said UP elections may be coming and so on. I am not going into that matter. But I say to the Home Minister that it is a vast country where we all abide by the decisions of the Supreme Court, which is the highest judicial body. It is our duty to maintain law and order in such a way that no room is given to the people to interpret it in this way. Under these circumstances, I request the hon. Home Minister to file a proper chargesheet and take stringent action against those persons who have violated the law. Thank you, Sir.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to express my views on the statement made by the Home Minister on the recent unhappy incident which took place on 17th October, 2001, at Ayodhya. Sir, at the outset, I would like to say that the statement made by the hon. Minister is not true to the facts. My learned friend has just stated that a policy matter has also been brought out through this statement. The statement says, "the matter will be solved either through mutual consensus among all the parties concerned or on the basis of adjudication by a court."

Sir, paragraph 2 of the statement describes the incident, as if it is a simple, petty offence. It briefly narrates the facts of the incident which took place at Ayodhya on 17th October, 2001. The statement further says, "According to the report received from the Government of U.P. S/Shri Ashok Singhal, S.C. Dixit alongwith 20 other persons..." There lies the point. According to the Home Minister's statement, there were 20 persons.

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, can the hon. Member mention the name of a person who is not present in the House? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK): Those names are there in the statement of the Home Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : This is the statement made by the Home Minister in the House; not by me. Sir, the question is about the number of persons who participated in that act. Sir, the Asian Age of 18th October, 2001 says, "The VHP leaders performed aarti at the temple before they were evacuated by the Central forces deployed in the temple. The number of persons described as about 250, of their followers stormed the sanctum sanctorum of the makeshift temple at the disputed Ram Janmabhoomi site at Ayodhya on Wednesday morning." This news appeared in the Asian Age of 18th October, 2001. Sir, as per the Times of India, the number of persons who took part in the puja and aarti was 200. Almost all the dailies reported that there was a huge cry in which slogans were raised, and a big agitation was there. But the statement of the Home Minister says that the number of persons who took part in the incident is only 20. It has also been said that they had gone there just for darshan; and, immediately after darshan, they were taken out. What the police did has also been mentioned in the statement. The police reached the site after half-an-hour. On reaching the site, they pleaded with the offenders to evacuate the place so that they will not be in difficulty. They were not removing them; they were pleading with them. This has also been reported in almost all the newspapers. Due to lack of time, I am not going into the details. So, politics is there. It may be looked into. On 17th October, 2001, there was a rally organised by the BJP Dalit women, which was to be addressed by the Chief Minister of U.P. Almost all the district officials were engaged in that rally. Also, a Bajrang Dal Conference was taking place nearby. Some 200-250 people had gone to that place. First, one person came and he made his intention known to perform puja or darshan. Immediately after that, other persons came, by breaking all the barriers. The statement has described it as a simple offence; and states that an FIR has been lodged. It is not proper. It is not true to the facts also.

Sir, the last part of the statement of the Home Minister says that the Government is committed to protecting the directives of the Supreme Court. How are the directives of the Supreme Court being protected? There is a clear violation of the Supreme Court directives. The *status quo* has to be maintained. All these political things have been brought before this House keeping in view the forthcoming Assembly elections in U.P. Even the recent order of the Supreme Court regarding waiving the charges against all the three hon. Ministers of this Government has come out as evidence.

Sir, one more point I would like to submit before this House. In the last Kumbh Mela, it was declared that the deadline for the construction of the Ram Temple is March 12, 2002. Even in the Agra Conference of the RSS, Dr. Sudarshan had very specifically and openly stated that the Ram Temple would be constructed by the month of March, 2002.

I would like to point out that even our hon. Home Minister was present over there; not on the dias, but as an audience. He listened to the speech of Dr. Sudarshan, who deliberately spoke against the Supreme Court directive. He said that they would violate the directive, "We would not abide by the law of the land. We would not abide by the rule of law." He has specifically stated that. Our hon. Home Minister was listening to it. He was part of the conference. When such is the case, how would this Government be able to protect the disputed site at Ayodhya? How would they be able to see to it that the guidelines or directives of the Supreme Court are adhered to?

I would like to say that the Statement is absolutely not true to the fact, and it is only justifying the action of the offenders.

Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इससे पहले कि मैं माननीय श्री सतीश प्रधान जी से कहूं कि वे अपनी बात शुरु करें, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि वे थोड़े में ही अपनी बात रखें और सभी लोग माननीय गृह मंत्री जी का भी उत्तर सुनना चाहेंगे इसलिए थोड़े में ही अपनी बात रखें। माननीय श्री सतीश प्रधान जी।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं श्री सुरेश पचौरी जी का भी आभारी हूं क्योंकि उन्होंने यह मुद्दा यहां उठाया जिस वजह से यहां यह चर्चा करने का मौका मिला।

उपसभाध्यक्ष जी, यहां बहुत सारे माननीय सदस्यगणों ने एक बात बहुत बार कही और बताया कि यह जो घटना घटी है वह इसलिए घटी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ गए हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यहां सभी लोग जो बात कर रहे हैं वे भी उत्तर प्रदेश के नज़दीक आ रहे चुनावों को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। यदि यह हकीकत है तो दूसरे किसी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई बात या कार्रवाई की तो उसके लिए शिकायत करने का किसी को अधिकार नहीं है क्योंकि हमें यह समझ लेना चाहिए कि जैसी कार्रवाई मैं कर रहा हूं, उस ढंग से दूसरा भी कोई कार्रवाई कर सकता है और उसका उसको अधिकार है। लोकतंत्र में रहते हुए यदि कम से कम इतनी बात हम ध्यान में रखें तो यह सबके लिए सुविधाजनक रहेगा।

मैं यहां दो बातें खासकर सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि यहां

अधिकतर माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार एक ही बात का ज़िक्र किया गया कि यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, हम उसे मानेंगे। इस बात पर हम कैसे विश्वास करें। शाहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद लोक सभा में इस विषय पर चर्चा करके कानून में बदलाव किया गया और सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे, यह सदनों के माध्यम से, दोनों सदनों के माध्यम से तब बताया गया था। यह हकीकत है और इससे यह बात तो मानी जा सकती है कि ये दोनों सदन सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम हैं। यदि कहीं भी कानून का मुद्दा है तो उस विषय पर तो कोर्ट को निर्णय देने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई कानून का मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है तो उसके लिए राजनीतिक इलाज ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट का निर्णय नहीं चलेगा। कोर्ट का निर्णय निकालने की कोशिश करने के बाद भी उसे मानने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने यह विषय रख रहा हूं और यह बताना चाहता हू कि इसके लिए राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। वह राजनीतिक निर्णय ढूंढने की कोशिश करने के लिए प्रामाणिक चीजें ढूंढकर टेबल के सामने आकर बैठने की आवश्यकता है।

महोदय, हम यह मानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और जैसा कि बताया जाता है कि उनमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर जुडिशियरी है, ऐक्जीक्यूटिव है और आज की तारीख में प्रैस भी है। इन चारों में सबसे अहम पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट को ही इसका कोई हल ढूंढने की कोशिश करनी होगी, इसके सिवाय इसका कोई हल हो नहीं सकता।

महोदय, यह कहा जा रहा है कि वहां पूजा की गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग उससे इतने असंतुष्ट क्यों हो गए हैं, इतनी गर्मागर्मी क्यों हो रही है? क्या हमारा पूजा करने का अधिकार भी नष्ट हो गया? मैं सदन के सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि किसी से पूजा करने का अधिकार छीनने का हक किसी को नहीं है। कोई भी किसी से पूजा करने का अधिकार नहीं छीन सकता। अगर कोई यह अधिकार छीनने की कोशिश करेगा तो यहां महाभारत हो जाएगा। किसी को हमसे पूजा करने का अधिकार छीनने की अनुमति नहीं है, यह बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं।

महोदय, प्रभु रामचन्द्र जी का जहां जन्म हुआ, वहां जाना, वहां जाकर पूजा करना, यह प्रभु रामचन्द्र जी के सेवकों का काम है, यह उनकी भक्ति का प्रतीक है, वहां जाने से कोई उनको रोक नहीं सकता और रोकने की आवश्यकता भी नहीं है। वह बाबर की आक्रामकता का स्मारक है, वह रहे या न रहे, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन प्रभु रामचन्द्र जी का जन्म जहां हुआ, उनके प्रति हमारे मन में भक्ति है, उनके ऊपर हमें विश्वास है, उनके नाम से हम सब जगह कारोबार चलाते हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करना और वहां जाकर पूजा करने से हमें रोकना बिल्कुल गलत होगा। वहां मंदिर बनाना हमारा फर्ज होगा। वहां मंदिर बनेगा, बनना चाहिए, इसमें हम विश्वास रखते हैं। यह मंदिर जल्दी से जल्दी वहां बनना चाहिए, यह मांग मैं यहां करता हूं।

माननीय आडवाणी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपने जैसे रथ यात्रा निकाली थी और पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में हिंदुओं के दिलों में हिंदुत्व जागृत किया था, आज उसे फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। वरना तो आज एक जगह बिन लादेन का नाम लिया जाता है और कहीं पर पूरे देश के इस्लाम को इकट्ठा करने की बात चलती है और यहां इमाम खड़ा हो

जाता है और इमाम बात करना शुरू करता है कि तालिबान के साथ चलो। यहां के बहुत सारे मुसलमान उनके साथ नहीं गए, मैं उनका आभारी हूं, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं लेकिन यह बात जहां छेड़ी जाती है, जिस ढंग से चलती है, यह देश के लिए घातक है, यह किसी हालत में नहीं चलनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

SHRI KULDIP NAYYAR (Nominated): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. Sir, I was grieved and saddened to hear the Speech of Mr. Mohd. Azam. As a Hindu, as a person belonging to the majority, I feel that, somewhere we must have failed because if one-fifth of the nation feels that it is given equal treatment or equal rights or has the feeling that it is insecure, that means, the other four-fifth have failed somewhere.

I can assure you, Sir, that when we fought for our independence, every Hindu, Muslim, Sikh, Christian, together, wanted to get Independence for the country. And I recall that when I came from Pakistan, I attended one of the meetings of Mahatma Gandhi, where he said, "Muslims and Hindus are my two eyes." I want to find out as to where did we go wrong. Where did this country go wrong? Where did the people go wrong? Because, if one-fifth of the country or our Muslim brethren, by and large, feel insecure -- probably, you are right; I am not trying to belittle your feelings -- it means, either this Government or the earlier Governments have not been able to build the country according to the dreams which we all had before Independence or the dreams which Mahatma Gandhi gave us, which Nehru gave us, and the dreams which Maulana Azad gave us. Sir, Gandhiji was shot on 30th January, 1948, but he died on 6th December, 1992. Because, at that time -- you may call the structure by any name -- I really felt very sorry. Because it represented our composite society and it represented our pluralistic culture. I do not want to go into the history -- whether it started with Mandal or Kamandal or whether it started with the Rath Yatra performed by Advaniji or whatever -- but the fact remains that after the demolition, the country is much more divided than before. To say that we have the right of prayer there; first, the right has to be established. I think many historians have gone into it -- whether it is a Mandir or Masjid. But, now, the issue is pending before the hon. Supreme Court. What the VHP did that day was against the letter and spirit of law and the directive of the hon. Supreme Court. I have reasons to believe that the hon. Prime Minister was very unhappy about the incident. I am sure the hon. Home

Minister must also be unhappy about that, because their purpose, their endeavour, should be to maintain law and order. But let us come out and see how we could resolve the issue. After all, this is a matter pending before the court. Whether the court's judgment -- whatever it may be -- really be acceptable to the people in letter and spirit is the question. If somebody is not obeying the directive now, will they really wait till the judgment of the Supreme Court, is a question to be looked into. So, what is the solution? The solution cannot be at the expense of the Muslims. It cannot be at the expense of the Hindus. My suggestion is, let this portion of the site be kept open. Nothing should be built on that site. Sir, in Hiroshima, the ground over where atom bomb was dropped, is preserved. They say, "Look here. We want to preserve it." Similarly, let this ground or site be preserved, because, then, we can say, 'Here, on 6th December, 1992, our secularism was attacked.'

The generations to come will, probably, cry. But there will be a sort of catharsis that, "Look here, this is the place where our secularism was attacked", because we believe in this. A plurastic society is a must for this country. I want to give one clarification to the Home Minister. I am one of the persons who had filed a petition in the Supreme Court. I think I have done -- according to me -- a great service to the Home Minister in this way, that let this case not end on technical grounds. Let it be proved that he or his persons were not responsible for it. This way, taking shelter behind a technical point. The posterity would say, "Look here, it was not proved in the court, but it was only deferred on some technical grounds. It is surprising to me when I get many calls, many hate mails, threats now, though I have been writing the same thing for the last forty years. That means, something is changing in the society. Something is happening to this country of mine because this is not the thing, as I said, we dreamt when we were fighting under the leadership of Mahatma Gandhi. All that I want to say towards the end is that, "Azam Saheb, don't ever get disheartened because this is one India and it belongs to all of us, whether Hindu or Muslim". We will fight for that dream to come true, because our Constitution may have only given us that thing in letters, but we should make it in spirit. And I hope, as the days go along, we will be able to do that. Those parties, those persons, those individuals, who are indulging in separating the nation, are committing the biggest blunder in this country. They are harming the country. They are not only harming the country, but they are also taking away the dreams of Independence.

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**) : श्री गांधी आज़ाद। मैं फिर एक बार निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्यगण बहुत थोड़े-थोड़े समय में अपनी बात रख दें।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, वह अपने आपमें विरोधाभासी है। पहले पैराग्राफ में ही उद्धृत किया गया है कि "इस सरकार का यह मत है कि अयोध्या में समस्या का समाधान, सभी संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहमति या न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही हो सकता है।" मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन सवाल यह उठता है कि बीच बीच में कौन से ऐसे भारत के व्यक्ति हैं या कौन सा ऐसा भारत का संगठन है जो बार-बार इस मामले को छेड़ता है कि मंदिर अब बनेगा, मंदिर तब बनेगा, मंदिर का मुहूर्त अब है, मंदिर का मुहूर्त तब है। मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो अनर्गल प्रचार करते हैं या ऐसे संगठनों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करेगी? दूसरा, मैं दूसरे पैराग्राफ से उद्धृत करना चाहता हूं - "सर्वश्री अशोक सिंघल, एस.सी.दीक्षित, 20 अन्य व्यक्तियों के साथ, जो दर्शन करने के लिए गलियारों के रास्ते गलियारों पर लगी सलाखों से आए और उस अलग-थलग पड़ी हदबंदी के स्थान पर पहुंचे, जहां पर आम तौर पर भक्तगणों को आने नहीं दिया जाता।" सवाल यह उठता है और मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हदबंदी के स्थान पर जाना कानून का उल्लंघन है या नहीं? आगे फिर उसी पंक्ति में है कि कुछ व्यक्ति परिसर के अंदर बैठे हुए हैं तथा नारा लगा रहे हैं। भजन गाना तो गनीमत है और भजन करना भी गनीमत है लेकिन मंदिर के अंदर नारे लगाना, क्या यह अपराध और कानून का उल्लंघन है या नहीं है?

पांचवे पैराग्राफ में लिखा है कि इन व्यक्तियों द्वारा कोई संवर्धन, बदलाव नहीं किया गया और न ही ढांचे को किसी किस्म की क्षति पहुंचाई गई तो अगला सवाल उठता है कि जब कोई कार्य नहीं किया गया तो इन्हें दोषी क्यों बनाया गया? छठे पैराग्राफ में है कि घटना के लिए जिम्मेवार दो वरिष्ठ अधिकारी, एक मजिस्ट्रेट तथा एक पुलिस उप अधीक्षक निलम्बित कर दिए गए हैं। के.रि.पु. बल ने ड्यूटी पर तैनात कम्पनी के स्थान पर दूसरी कम्पनी को तैनात कर दिया है और घटना के लिए उत्तरदायी यूनिट के डिप्टी कमांडेंट तथा एक निरीक्षक को स्थानांतरित कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय जी से से जानना चाहता हूं कि जब श्री सिंघल जी द्वारा कोई कुछ किया ही नहीं गया तो इन पुलिस कर्मियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही क्यों की गई। यदि सारे तथ्यों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल और उनके साथियों द्वारा प्रतिबंधित स्थान पर जाना कानूनी नियमों एवं संविधान का उल्लंघन है। दूसरे शब्दों में हम इसको यों कह सकते हैं कि यह साम्प्रदायिकता बढ़ाने का द्योतक है। अत: साम्प्रदायिकता में लिप्त यदि सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया है तो विश्व हिन्दू परिषद् एवं अन्य साम्प्रदायिक संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि देश में अमन-चैन, भाई-चारे और इंसानियत की बहाली हो सके।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर गृह मंत्री जी का वक्तव्य देखने पर ऐसा लगता है जैसा कि ये आम मौकों पर कहते हैं कि हमारी सरकार एनडीए के एजेंडे पर चल रही है। इसमें बीजेपी का कहीं एजेंडा नहीं है। लेकिन एनडीए का नाम लेकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा बीजेपी के एजेंडे को पूरा करना है। यह सरकार देश के अंदर शांति और सद्भाव बनाने की दुहाई देती है लेकिन सरकार की मुख्य पार्टी

भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी संगठन कभी फरवरी में राम मंदिर बनाने की बात कहते हैं, कभी राम मंदिर में मूर्ति लगाने की बात कहते हैं और कभी वहां पर पत्थर लगाने की बात कहते हैं। 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या परिसर में जब विवादित ढांचा गिराया गया उस समय अशोक सिंघल और दूसरे लोग गृह मंत्री के साथ थे। 17 अक्तूबर की जो घटना हुई है यह एक प्रीप्लान्ड है। लोगों को धोखा देने और वोट लेने का नाटक है, यह इससे साबित होता है। मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब विश्व हिन्दू परिषद् के लोग इस परिसर में गए, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज हुई तो उस एफ.आई.आर. के अनुसार किन-किन को गिरफ्तार किया गया, यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? अब तक आपने उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है? जबकि भारत सरकार के अंदर कानून तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना, सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करना, उनके कार्य में बाधा पैदा करना, इसके लिए उनके खिलाफ कई प्रकार की धाराएं लगनी चाहिएं। लेकिन वहां की राज्य सरकार ने केवल 186 के अंदर रिपोर्ट दर्ज की है। दूसरे, राज्य सरकार ने आपको कब रिपोर्ट भेजी, क्या - क्या रिपोर्ट भेजी, यह इस वक्तव्य के अंदर नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार का जो दृष्टिकोण है, चाहे वह साम्प्रदायिक दंगे कराने की बात है। चाहे वहां अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की बात आए, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की बात आए, जैसे मुरादाबाद के अंदर घटना हुई। एक प्लान ऐसी घटनाओं से चल रहा है। इन घटनाओं को रोकने के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग को सहयोग देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या-क्या कदम अयोध्या में ही नहीं, पूरे यू.पी. के अंदर उठा रहे हैं? क्या-क्या कार्य कर रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक लोग वहां सुरक्षित रह सकें? यह अयोध्या की बात नहीं है, अयोध्या तो भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इन भावनाओं को भड़काकर आप केवल वोट की खातिर ही लोगों को लड़ाना चाहते हैं। आप सिमी पर प्रतिबंध लगाते हैं, आपने अच्छा किया प्रतिबंध लगाया, यह एक गलत संगठन है उसे प्रतिबंधित करना चाहिए लेकिन साथ ही दूसरे संगठन भी गलत काम कर रहे हैं। देश की सद्भावना, जो सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है उसे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं और ऐसी भावनाओं को भड़काते हैं। इन संगठनों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है कृपया अपने जवाब में इसे भी स्पष्ट कर दें। इस मौके पर मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बजरंग दल की आजकल एक आतंकवादी गुट से भी ज्यादा कार्रवाई इस देश के अंदर हो रही है जिसमें विशेषकर राजस्थान के अंदर बजरंग दल के लोगों ने आतंकवादी कार्य किए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने ऐसे कार्य करना आरंभ कर दिया है तो क्या आप बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे?

SHRIMATI SHABANA AZMI (Nominated): Sir, there are some contradictions in the written reply of the hon. Home Minister in which he states that there has been no violation of the Supreme Court's directives on the disputed site in Ayodhya. My friend, Shri Narendra Mohan, repeated again and again that there had been no violation of the Supreme Court's judgement. Then, why this action has been taken? I quote from the statement of the hon. Minister. He says, "According to the reports available from the State Government, two senior officials, a Magistrate and a Deputy Superintendent of Police, responsible for the incident, have been placed under suspension. CRPF have also replaced the Company on duty by

another Company, transferred the Deputy Commandant and an Inspector of the Unit responsible for the incident, and departmental action has been initiated against the officials concerned." Why? If there was no breach here, why did this happen? If there was no violation, and if Shri Ashok Singhal and Shri S.C. Dikshit were only peacefully singing hymns, then they should be invited every day to do this. रोज उन्हें बुलाया जाए, रोज उन्हें दावत दी जाए, रोज उनसे कहा जाए कि प्लीज आप आइए और भजन गाइए क्योंकि भजन गाने से तो सिर्फ शांति फैलती है और शांति के हम सभी लोग उत्सुक हैं। मगर आरतियों में क्या होता है? उसके साथ-साथ उन्होंने स्लोगन भी रेज किए। मैं जानती हूं, मैं बोम्बे में मौजूद थी। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद जो राइट्स करवाए गए बोम्बे में, उसमें शिवसेना महाआरती रेग्युलरली करवाती थी और उस महाआरती में कितने प्रोवेकेटिव स्लोगन्स साथ में रेज किए जाते थे। इसका इमिजिऐट रिजल्ट यह होता था कि कोई न कोई वॉयलेंट घटना घटती थी। हम जानते हैं कि इन ओकेजन्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सही बात तो यह है कि Sir, Mr. Ashok Singhal and company were raising slogans. It is anybody's guess how peaceful those slogans were! They entered the isolation cordon where devotees are, normally, not allowed this is according to the written statement. And they were deliberately creating a surcharged atmosphere in which violence was sought to be unleashed.

Sir, we are leaving in very troubled times. It is very important that we all work towards the maintenance of amity and communal harmony. This can only be achieved, Sir, if the minorities feel secure and confident. I share my friend, Mohd. Azam's anguish and pain. Fifty-four years after Partition, if Muslims are hauled over the coals every time when one Muslim makes an irresponsible statement, and if, 54 years after partition, we still have to prove our loyalty to the nation, we cannot feel secure, we cannot feel confident. If, because of a few hundred Muslims who cheer when Pakistan wins a cricket match against India, all the 15 crore Muslims have to pay the price, we cannot feel secure, we cannot feel confident.

This feeling of insecurity is increased with the kind of provocative statements that are made and the kind of activities that are indulged in by Mr. Ashok Singhal and company. Such an atmosphere is creating terror in the minds of the minorities. While any debate on POTO should be argued around and not that we fight against each other, it becomes all the more difficult when a senior Minister in the Government says: "Either you are with POTO, or you are anti-national." Such a statement puts the entire question out of the arena of debate and puts it in an altogether different atmosphere. I would urge all of you to contribute your might towards defusing the

tension that has been built up by the present surcharged atmosphere, and prevent undesirable incidents from taking place.

We all know that communal riots do not happen suddenly. They are engineered. They are created with very narrow interests, for electoral gains. Let us refrain from building up communal tension, with an eye on electoral gains. People die in communal riots. Their homes get burnt. The children are left without parents. Riot after riot we see that Commissions of Inquiry are set up, but absolutely no action is ever taken to do justice to the victims. In the manner the justice is done, it gives out a signal that there are two kinds of laws in the country. If you kill one person, you are likely to be punished; but if you indulge in mass-murder, you go scot-free. It gives a feeling that injustice is done to the victims. In such a situation they feel that there is no way that you can provide a sense of security. In this atmosphere of insecurity, fear is created. As we have seen from the incidents in recent times the world over, fear leads to anger; and anger is the most potent weapon of all. Let us step in and try to defuse this communal tension. Let us challenge the State Governments, which say filming of a picture, like 'Water', whose script was passed by the Central Government, will create law and order problems in the State, but incidents like storming of the site at Ayodhya are not going to create any problem whatsoever. So, my plea is that all of us should stand together and work towards creating an atmosphere of communal harmony and amity. Thank you very much.

*मिर्जा अब्दुल रशीद (जम्मू और कश्मीर) : वाइस चेयरमैन साहब, किसी शायर ने खूब कहा है-

मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारों ने बांट लिया भगवान को,
धरती बांटी, सागर बांटे, मत बांटो इन्सान को।

यों तो इस बाबरी मस्जिद में कई सौ सालों तक नमाज़ अदा की गई लेकिन जिस अंग्रेज ने कई सौ सालों हमें गुलाम रखा, उसी अंग्रेज ने भारत को तक्सीम करने में और आपस में फसादात और कत्लोगारद कराने में हमेशा किस्म किस्म के हरबे इस्तेमाल किये। 1936 में जिस वक्त तहरीके आजादी पूरी जवानी पर थी, शबाब में थी, उस वक्त उसने ऐसा घिनौना हरबा इस्तेमाल किया कि पूरा का पूरा भारत एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फसादात बरपा किये। यह उस वक्त इसलिये किया कि तहरीके आजादी कमजोर हो जाए, भारतीय आपस में लड़ जाएं और उनका राज चलता रहे। लेकिन उसके बाद उस वक्त जो लीडर थे मुत्तेहदा भारत के उन्होंने

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

5.00 P.M.

उस वक्त फैसला किया कि इस मुत्तअलाज़ा मस्जिद पर ताला लगाया जाए और जब ताला खोला जाएगा उस वक्त यह फैसला किया जाएगा कि यह मस्जिद है या मन्दिर है। जब आजादी के बाद ताला खोला गया तो पूरा हाऊस जानता है सियासतदानों ने ताला खोलने के बाद पूरे 55 साल बरसरे इख्तेदार आने के लिए इसको किस किस ढंग से इस्तेमाल किया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं एक सवाल पूछूंगा कि मुतनाजा जगह पर मस्जिद नहीं बनायी जा सकती यह सच है, मुतनाजा मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं होती ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय अब्दुल रशीद जी, जरा एक मिनट। पांच बज गए हैं और अभी मिर्जा साहब तो बोल ही रहे हैं। बाद में माननीय बी. पी. सिंहल साहब को बोलना है। फिर माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो केवल सदन के समक्ष प्रस्तुत ही होने हैं - एक तो वाणिज्य मंत्री जी द्वारा और एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा। अगर आपकी सहमति हो तो इन कामों को समाप्त करने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Now statements can be laid.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी का उत्तर भी तो आना है। आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा।

*__मिर्जा अब्दुल रशीद__ : मैं अर्ज कर रहा था। मैं एक सवाल पूछ रहा था और सवाल यह है कि मुतनाजा जगह पर मस्जिद नहीं बनायी जा सकती है, यह सच है। मुतनाजा मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जा सकती है, यह भी सच है। तो क्या मुतनाजा जगह पर मूर्ति रखकर पूजा की जा सकती है जबकि तनाजा सुप्रीम कोर्ट में हो? यह एक मेरा सवाल है।

दूसरा यह कि मेरी यह राय है कि जब तक बहमी तस्वीया होता है दोनों तबकों में या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तब तक मुकम्मिल तौर पर यहां दखलअंदाजी बंद की जाए ताकि बार बार पूरे भारत में यह नफरत न उभरे। यह जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और हमें इन पर भरोसा है। यह आपस के दिल न टूटें, विश्वास न टूटे, मुल्क मुतहिद रहे, इसी तरीके से अजीम हिंदुस्तान बनता रहे। तो मैं एक ही सवाल करूंगा और दुआ भी करूंगा कि -

> "पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, यह फिक्र मन्दिरों के निगहबान को भी हो
> ऐ, काश मेरे मुल्क में ऐसी फजां बने कि मन्दिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो"।

थैंक्यू।

---

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमेंट में चंद बातों का जो इसमें उल्लेख है उनके पीछे जो कारण हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : जहां तक यह हमारा कालिंग अटेंशन है, फारमैट को लेकर पहले बहुत विवाद हुआ है। तो एक पार्टी से क्या दो वक्ता होंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : वैसे जो बोलना चाहते हैं ...

श्री नीलोत्पल बसु : नहीं नहीं, बोलना चाहते हैं का क्या मतलब। हमारे सारे मेम्बर बोलना चाहते हैं। बहुत कुछ बोलना बाकी रह गया है। सारे बोलेंगे। जो हाउस के कायदे कानून हैं उनके संरक्षण के ऊपर इतना झगड़ा हो गया, इसलिए यह स्पष्टीकरण मुझे दे दीजिए कि एक पार्टी से दो वक्ता होंगे या नहीं? मतलब अगर यह प्रेसीडेंट होगा तो आगे चलकर हमारे सारे मेम्बर बोलेंगे ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : ऐसा है माननीय बसु जी, अभी कांग्रेस पार्टी के भी दो संदस्य बोले हैं इस पर। एक और भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य बोल रहे हैं।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: मान्यवर, इतनी देर में तो मेरी बात खत्म हो जाती।

श्री नीलोत्पल बसु: यह पांच बजे तक होगा और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी पार्टीज की बड़ी स्ट्रेंग्थ के आधार पर दो वक्ता होंगे। यह तो व्यवस्था के विपरीत काम होगा। कैसे चलेगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इतनी देर में तो वे अपनी बात कह देते।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : मेरी बात इतनी देर में खत्म भी हो जाती।

मान्यवर, पहले तो एक प्रश्न अभी उठाया था माननीय वक्ता ने जो हमसे पूर्व बोले थे। यह जो पूजा होती है वहां पर वह हाई कोर्ट के आदेश के तहत जो सन् 1950 में हुआ था, होती है। इसलिए इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं पूछना यह चाहता था कि क्या यह सच है कि वहां पर दर्शन के लिए हिंदुओं को 5 मील लम्बे बाड़े के अंदर घूमते घामते जाना पड़ता है तब जाकर मन्दिर के सामने - जो एक छोटा सा मन्दिर बना हुआ है छप्पर सा - उसके सामने दर्शन होते हैं? क्या यह सच है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। नम्बर दो, क्या यह सच है कि वहां पर जूते उतारने का कोई बंदोबस्त नहीं है और व्यक्ति को जूते पहने पहने जाना पड़ता है और जूते में 50 फुट से दूर - मुश्किल से इतनी बड़ी रामलला की करीब एक फुट सवा फुट की मूर्ति है, उसके दर्शन करीब 50 फुट से होते हैं। क्या यह सच है? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पांच मील के बाड़े में इतनी गर्मी में तपते हुए जो लोग जाते हैं क्या उनके लिए पानी का कोई बंदोबस्त किया गया है? इस बाड़े में जाने वालों के लिए क्या कोई टायलेट का बंदोबस्त है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं ...**(व्यवधान)**... आप सुन लीजिए, क्या यह सच है कि सन् 1996 में महंत रामचंद्र दास जी ने एक अनशन किया था और उस समय 8 मांगें रखी गई थीं, उनमें सब से बड़ी मांग थी कि 1.1.1993 का हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसका उल्लेख माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य में भी है, उसके तहत दर्शनों का जो फासला है वह इतना होना चाहिए कि स्पष्ट और सार्थक दर्शन हो सकें? ...**(व्यवधान)**... क्या यह सच है कि

उनके अनशन को यह कह करके तोड़ा गया कि उनकी मांगें पूरी होंगी? क्या यह सच है कि 1996 से ले कर 2001 तक जब वे मांगें पूरी नहीं हुई तो विश्व हिन्दू परिषद के नेता लोगों ने इन मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह काम किया कि दर्शन उस फासले से करें जिस फासले से हाई कोर्ट ने कहा था कि दर्शन होने चाहिएं? उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया था जो कि आज तक यू.पी. की सरकार और भारत सरकार नहीं करा पाई। मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बताया गया कि साधारणतया कॉलिंग अटेंशन घंटा भर रहेगा और उसके बाद मणिपुर के संवैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन राज्य सभा में मैं वर्षों तक रहा हूं और राज्य सभा की अपनी परंपरा रही है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्राय: एक प्रकार की शार्ट ड्यूरेशन डिसकशन हो जाती है। कुल मिला करके चर्चा अच्छी हुई है, यद्यपि मैं अपेक्षा करता था कि जिस घटना के कारण लोगों में चिंता पैदा हुई उस घटना की ओर ही ध्यान होगा। मुझे स्मरण है कि अक्तूबर की उस 17 तारीख को जिस दिन यह घटना हुई, उस समय मैं एक पत्रकार सम्मेलन में बोल रहा था, यहां के विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ, उनके ही दफ्तर में मेरी मुलाकात थी। वहां पर किसी ने आ करके मुझे यह सूचना दी कि आज अयोध्या में ऐसी-ऐसी घटना हुई है और विश्व हिन्दू परिषद् के प्रमुख लोग उसमें घुस गए। अब मेरी तुरंत जो प्रतिक्रिया हुई वह मैंने वहां पर सार्वजनिक रूप से प्रकट की। मैंने कहा कि मुझे अभी यह सूचना मिली है। अब यह कैसे हुआ है, क्यों हुआ है कहीं पर सरकार की ओर से भी कोई कमी रही या नहीं, इसकी तो जानकारी करनी पड़ेगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से मैं इस काम की भर्त्सना करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि इसमें किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं। उल्लंघन हुआ होगा तो कानून रक्षण का जिन का कार्य है और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह उसकी ओर ध्यान देगी और आवश्यक कदम उठायेगी, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करता हूं। यह मैंने उसी समय कहा और मैं बाद में आ करके भी इस नतीजे पर पहुंचा। इसीलिए मैं, जिस समय हमारे नरेन्द्र मोहन जी बोल रहे थे और एक प्रकार से दिखा रहे थे जैसे मानो कोई गलती नहीं हुई और जो कोई पूजा करना चाहता है वह पूजा करने से थोड़े ही कोई नहीं रोक सकता है। जबकि यह सवाल उसका नहीं है। कानून का उल्लंघन हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर सार्वजनिक जीवन में प्रमुख व्यक्ति अव्यवस्था भी निर्माण करते हैं और व्यवस्था के लिए जो उत्तरदायी हैं, उन के साथ उन की झड़प भी होती है तो वह भी गलत है और खासकर अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ संबंधित है तो मेरा कर्त्तव्य बन जाता है कि मैं सार्वजनिक रूप से उन के बारे में अपनी राय प्रकट करूं और वह मैं ने की। लेकिन यहां पर चर्चाएं काफी विस्तार से हो गयीं और काफी फैल गयीं। अब मेरे मित्र कुलदीप जी बोल रहे थे और गांधी जी का उन्होंने उल्लेख किया तो मैं मन में सोचने लगा कि गांधी जी ने उस समय यह दृष्टिकोण अपनाया था कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें हैं। बावजूद इस के, देश का विभाजन हुआ और विभाजन का आधार क्या था? आधार यह था कि समाज के एक वर्ग ने, एक अंग ने और एक प्रभुख मुस्लिम लीग ने यह कहा कि अगर भारत अखण्ड रहेगा, देश अविभाजित रहेगा तो हम एक प्रकार से इस हिंदू बहुमत के गुलाम बन जाएंगे। महात्मा जी थे, पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे कांग्रेस के लीडर और उस के बावजूद काफी व्यापक रूप से इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया, इस तथ्य को कभी भुलाना नहीं चाहिए। बावजूद इस के कि उस समय देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान

ने अपने को इस्लामिक..राज्य घोषित किया और एक मज़हबी राज्य की घोषणा की। लेकिन वह भारत ने नहीं की और भारत की संविधान सभा ने मैं समझता हूं कि एकमत से, वहां पर दो मत चर्चा में थे भी नहीं, यह एकमत से कहा गया कि यह राज्य मज़हबी राज्य नहीं बनेगा। मज़हबी राज्य की कल्पना को अस्वीकार किया गया, उस का तिरस्कार किया गया। महोदय, आज जिस को हम सेकुलर राज्य कहते हैं, उस समय संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। जिसे सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है, उस सेकुलरिज्म की कल्पना भारत में 1950 में स्वीकार की गयी अर्थात् विभाजन के तीन साल बाद। महोदय, मैं मानता हूं कि यह भारत की सब से बड़ी ताकत है और इस ताकत को बनाए रखने का कर्त्तव्य हम सब का है। हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी सरकार के हों और इसीलिए मैं शबाना आजमी जी की इस बात से सहमत हूं और मोहम्मद आजम जी से भी सहमत हूं कि अगर अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भाव होता है तो वह कोई अच्छी बात नहीं है और वह असुरक्षा का भाव केवल 17 तारीख की घटनाओं से नहीं होता है। मैं उस के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं तो यह कहूंगा कि उस दिन जो बात ध्यान में आनी चाहिए थी, वह यह आनी चाहिए थी कि विश्व हिंदू परिषद के दो प्रमुख लोगों ने अगर कोई बात की और जो बात उन्होंने की, उस के बारे में कह सकता हूं कि वहां पर क्राउड मैनेजमेंट का जिन का दायित्व है, प्रदेश की सरकार का या सी.आर.पी.एफ. के दायित्व का उल्लंघन कर के की। महोदय, अभी सिंघल जी ने जस्टीफिकेशन देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि इस समय जो व्यवस्था वहां दर्शन की बनी हुई है, वह ऐसी है जिस के कारण दर्शन ठीक से नहीं होते और This can easily be halved. These are the words that are used by the High Court. उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मोहम्मद आजद जी ने ठीक बात कही कि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस बात को एंडोर्स नहीं किया। उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया ...(व्यवधान)... मैंने तो सारा कुछ देखा है।

श्री मोहम्मद आज़म खान : रोक दिया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने एंडोर्स नहीं किया और कहा कि इस पर हम और विचार करेंगे, लेकिन इस बीच में status quo should prevail आया जिस का अर्थ है कि हाईकोर्ट के निर्णय से पहले जो स्थिति थी वह रहनी चाहिए। वह है और यह दायित्व सरकार का है। मेरी सरकार का नहीं है। मुख्य रूप से इस व्यवस्था का दायित्व उन पर है। मेरी सरकार का कोई दायित्व है तो पहले का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और जिस के आधार पर पार्लियामेंट का यह एक्ट बना है कि We are the receiver, the custodians, and therefore, the *staus quo* has to be maintained. महोदय, स्टेटस को की व्याख्या हम ने की है, उस का उल्लेख अपने वक्तव्य में किया है। महोदय, मैं ने जो कुछ हुआ, किसी भी प्रकार से उस को कंडोन करने की इच्छा न रखी है, न रखता हूं। आज फिर से दोहराता हूं कि जो कुछ विश्व हिंदू परिषद के उन लोगों ने किया, वह गलत काम था। मैं उस की निन्दा करता हूं, लेकिन कानून की दृष्टि से उस में से दोष कौन सा है, अब कोई कहता है कि आप ने "असाल्ट" का ला उन के ऊपर क्यों नहीं लगाया। खैर यह निर्णय करना तो वहां के अधिकारियों का काम है, मेरा काम नहीं है, लेकिन किसी ने असाल्ट न किया हो तो उसको असाल्ट 353 नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह नान-कागनिजेबिल है और वह कागनिजेबल है। आप कम से कम मुझ से यह अपेक्षा न करें कि मैं कोई गलत काम करूंगा। गलत काम करने के लिए मैं नहीं हूँ। यहां तो नारीमन जी जैसे विद्वान

बैठे हैं, जूरिस्ट बैठे हैं, वह भी यही कहेंगे कि गलत काम न करो। मैं मानता हूँ कि जो घटना हुई, वह नहीं होनी चाहिए थी। जिन्होंने की, उसकी निन्दा की गई है और उससे कानून का जितना उल्लंघन हुआ है उसके लिए कार्यवाही की गई है। प्रधानमंत्री जी की भी सार्वजनिक रूप से पहले पहले यह प्रतिक्रिया हुई कि There seem to have been some security lapse और इसके आधार पर वहां की सरकार एकदम एक्शन में आई। यहां एक प्रकार से मन में चिंता होती है, जो आज किसी को लगता है कि वहां पर हाईकोर्ट का आर्डर जो है वह सुप्रीमकोर्ट ने स्टे कर दिया तो हम उस हाईकोर्ट के आर्डर की ओर ध्यान दिलाने के लिए कोई न कोई ऐसी बात करें। कल और भी कोई बात ख्याल में आ सकती है। हमारी तरफ से आपको पूरा निर्देश है कि आप पूरी सुरक्षा रखें, आज जितनी सुरक्षा है उससे ज्यादा रखें।

उपसभाध्यक्ष जी, एक कमेटी वहां बनी हुई है, जिसको स्टेंडिंग कमेटी फोर द सिक्योरिटी आफ अयोध्या कहते हैं, जिसमें प्रदेश के भी अधिकारी हैं और केन्द्र के भी अधिकारी हैं। वे सब मिलकर फैसला करते हैं और उन्होंने ही यह फैसला किया है। असुविधा उन लोगों को है, जो भक्तगण वहां जाते हैं। यह बात जो माननीय सदस्य ने कही, वह सही है कि वहां पर उनको काफी लंबा-चौड़ा चलना पड़ता है। शायद लगता है कि नरेन्द्र मोहन जी वहां गए नहीं हैं, अगर गए होते तो ताले की चर्चा ही नहीं करते कि ताला खोलना पड़ता है। ...(**व्यवधान**)...

मैं इस बात को मानता हूँ, जिसका उल्लेख किसी ने किया कि इसके उल्लेख करने का प्रसंग ही नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि अयोध्या के बारे में जब जनरल तौर पर चर्चा होगी तो कम से कम सरकार का यह दृष्टिकोण फिर से दोहराना चाहिए कि हम यह मानते हैं कि जितनी आज तक घटनाएं हुई हैं, उन सबके संदर्भ में दो ही प्रकार से हल निकलेगा। एक बात कही गई कि इस समस्या का हल जो है वह लेजिस्लेशन से निकलेगा और इसके आधार पर सतीश प्रधान जी ने कहा कि यह जो सरकार है वह ऐसी है कि सुप्रीम-कोर्ट ने जो निर्णय दिया था शाहबानो के केस में, उस पर भी पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करवाकर उसको रद्द करवा दिया क्योंकि पार्लियामेंट सर्वोपरि है, The Parliament is supreme, no doubt. It can take decisions. ...(**व्यवधान**)...

*श्री **मोहम्मद आज़म खान** : सर, उसमें फर्क है। यह पर्सनल ला वाले मामले में मुसलमान एवं मुसलमान का केस आया था। दो अलग तरह के मामले हैं। बाबरी मस्जिद और राम-जन्म मंदिर मामले में फर्क है। ...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज़म साहब, मैंने आपकी बात को समझ लिया है। उस बात को ख्याल में रखकर मैंने इस बात को दोहराया है कि हम मानते हैं कि सारे घटनाक्रम को देखते हुए अगर इसका कोई हल निकलेगा तो दो तरीकों से निकल सकता है। एक तरीका कोर्ट का फैसला हो, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है क्योंकि कितने साल हो गए हैं और कितने साल और लगेंगे, नहीं कह सकते। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि केवल टाइटल्स के सवाल में ही अभी कितने ही विटनेसेस बाकी हैं, अधिकांश बहुतों की तो मृत्यु हो गई है। मैं समझता हूँ कि अगर इसका हल होगा तो जैसा मैंने जिक्र किया, दूसरा तरीका है, कि

* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर के कोई फैसला करें, उसमें से हल निकलेगा। यह हमारा दृष्टिकोण है। या फिर कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हरेक को मानना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, इसी कारण मैं विश्व हिन्दू परिषद के लोगों को कहता हूँ कि अगर हाईकोर्ट का निर्णय सुप्रीम-कोर्ट मान लेती तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसी को करती, लेकिन अगर सुप्रीम-कोर्ट ने नहीं माना तो आपको कोई अधिकार नहीं इस प्रकार से जबरदस्ती वहां पर घुसकर उसके निकट पहुंचने का। हाईकोर्ट ने कहा कि 15 गज होना चाहिए, 30 गज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम जाएंगे, तो यह बात गलत है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस सरकार की यह जवाबदारी है कि सुप्रीम-कोर्ट के जो भी निर्णय हों, उन निर्णयों का सब लोग आदर करें, चाहे वह किसी दृष्टिकोण के हों। दृष्टिकोण कुछ भी हो, लेकिन सुप्रीम-कोर्ट के निर्णयों का आदर होगा। इसका मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी : उपसभाध्यक्ष जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री मूलचन्द मीणा : जवाब नहीं आया। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजू परमार : सवाल का जवाब नहीं आया। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : पचौरी जी।

श्री सुरेश पचौरी : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो अपनी बात कही है, उसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या समस्या का समाधान जो संबंधित पक्ष हैं, उनकी सहमति से या कोर्ट के निर्णय से ही हो सकता है लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उससे पहले जैसा कि विश्व हिन्दू परिषद या दूसरे लोगों ने घोषणा की है कि 17 फरवरी, 2002 को बसंत पंचमी के अवसर पर वे अपनी कंस्ट्रक्शन प्रारम्भ कर देंगे, इसलिए उससे पहले यदि कोई कंस्ट्रक्शन प्रारम्भ होती है तो उसके बारे में सरकार की क्या योजना है, वे यह बताएं।

दूसरे, विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने जो अनधिकृत प्रवेश किया है, केन्द्र सरकार की उस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ? यह वायलेशन आफ कोर्ट है या नहीं? ...**(व्यवधान)**... ऐसे नहीं चलेगा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : पचौरी जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : यह सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है या नहीं, यह स्पष्ट करना होगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश प्रधान : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है और सरकार से प्रार्थना है कि यदि यह झगड़ा ऐसे नहीं मिट सकता है तो वहां एक तीसरा प्रयास हो सकता है और वहां कोई राष्ट्रीय स्मारक बनाने के बारे में सोचा जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब श्री मुरासोली मारन अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। ...**(व्यवधान)**... यह ऐसा विषय है जिसकी वजह से पूरे देश में साम्प्रदायिकता की आग भड़क रही है।

...(व्यवधान)... जिन प्रश्नों का उत्तर हमने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है, उनका उत्तर नहीं आया है और दूसरे विषय को लिया जा रहा है। इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं। ...(व्यवधान)...

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए)

STATEMENTS BY MINISTERS

The Deliberations and Developments that took place in the 4th W.T.O. Ministerial Conference held in DOHA from 9th to 13th November, 2001

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, I lay a copy of the statement regarding the Fourth Ministerial Conference of WTO on the Table of the House. ...*(Interruptions)*...

Reported Deaths of Children in Assam after Administration of Vitamin-A

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C.P. THAKUR): Mr. Vice-Chairman, Sir, I lay a copy of the statement regarding reported deaths of children in Assam after administration of Vitamin-A on the Table of the House. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इन दोनों वक्तव्यों पर चर्चा अथवा स्पष्टीकरण बाद में होगा, आज नहीं। अब हम कल गुरुवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2001, पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

The House then adjourned at twenty-three minutes past Five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 22nd November, 2001.

MGIP(PLU)MRND—4577RS—24-5-2002.